तृतीय माला, खण्ड १०—अंक १५

मंगलवार, २७ नवम्बर, १९६२
६ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

PARLIAMENT LIBRARY
P-25
Acc. No. 15
23-1-63

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १० में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१५३१–३२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५३२–३३
भारत की प्रतिरक्षा विधेयक—	
खण्ड ३, ४ ७ से १२, १६, १७, ५, ६, १३, १४, १५ और १८ .	१४३३—५१
गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव .	१५५१—८०
श्री प्रकाशवीर शास्त्री . .	१५५१—५६
श्री विभूति मिश्र .	१५५७—५९
श्री सरजू पाण्डेय . .	१५५९–६०
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख . .	१५६१
श्री यशपाल सिंह . .	१५६१—६३
श्री दे० द० पुरी . .	१५६३–६४
श्री विश्राम प्रसाद .	१५६४—६६
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह .	१५६६
श्री शिवभूति स्वामी .	१५६६–६७
पंडित द्वा० ना० तिवारी .	१५६७–६८
श्री स० मो० बनर्जी .	१५६९
श्री ब० प्र० सिंह	१५६९–७०
श्री स० का० पाटिल . . .	१५७१—८०
दैनिक संक्षेपिका	१५८१–८२

लोक-सभा

मंगलवार, २७ नवम्बर, १९६२

६ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न

न्यासालैंड में भारतीय

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यासालैंड में रहने वाले बहुत भारतीय व्यापारी उस देश को छोड़ कर चले आये हैं या आना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण ऐसा हो रहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) हमारी जानकारी के अनुसार यह समाचार ठीक नहीं है कि न्यासालैंड में भारतीय उदभव के बहुत से व्यक्ति उस देश को छोड़ रहे हों । इसके विपरीत वह बहुत प्रसन्न हैं और न्यासालैंड के सामाजिक, आर्थिक, तथा राजनीतिक जीवन में पूरी तरह भाग ले रहे हैं । न्यासालैंड में शासनरूढ़ दल बार बार घोषणा कर रहा है कि वह वर्णभेद के विरोधी हैं और सभी व्यक्तियों को आश्वासन दे दिया है कि वह न्यायोचित तथा सम्मान व्यवहार ही सबके साथ करेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि वहां पर भारतीय व्यापारियों को मारपीट की धमकी दी जा रही है क्योंकि वह एक दल द्वारा मांगी गई राशि में अंशदान नहीं देते हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

2402 (Ai) LSD—1.

†**श्री दिनेश सिंह** : जी नहीं । हमें इसकी जानकारी नहीं है । तीन या चार दिन पहले ही न्यासालैंड के कुछ व्यक्ति मेरे से मिले थे । वह देश के विभिन्न भागों के व्यापारी थे । उन्होंने मुझे कुछ इस प्रकार का बताया कि वह वहां पर बहुत खुश हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या १६–११–६२ को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि कुछ भारतीय व्यापारी बहुत बड़ी संख्या में वहां से जा रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने उसका विरोध किया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : हमने हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार देखा था जो एक दूसरे समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार ही था । ऐसा मालूम होता है कि संभवतया इस को कुछ ऐसे रुचि लेने वाले व्यक्तियों ने प्रकाशित करा दिया था, जो विवाद को बताने वाला झूठा समाचार था ।

†**श्री इन्द्रजीत गप्त** : हाल में ही यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि अगले वर्ष से न्यासालैंड में स्वतंत्रता अथवा होम रूल होने जा रहा है ; क्या सरकार का विचार बहुमत प्राप्त मालवी कांग्रेस से आश्वासन लेगी कि एशियाई सैटलर्स के अधिकारों का आदर किया जायेगा ?

†**श्री दिनेश सिंह** : सरकार कोई आश्वासन लेना जरूरी नहीं समझती है क्योंकि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं । ये भारतीय उद्भव के लोग हैं जो वहां पर बस गये हैं । यह विवाद उनको स्वयं निपटाना है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : माननीय मंत्री ने जिस शिष्टमंडल का जिक्र किया है उसके नेता न्यासालैंड की विधान सभा के सदस्य थे । क्या यह सच है कि उन्होंने अपने देश में उद्योगों की स्थापना के लिये गैर-सरकारी से सहायता मांगी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग प्रश्न है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अधीन अधिसूचनाएं

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगत)**: मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(१) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४८३ ।

(ख) दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५३४ ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५२२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (उन्नीसवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४८१ ।

(ख) दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५२९ ।

(ग) दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५३० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल टी-६१३/६२, एल टी-६१४/६२ और एल टी-६१५/६२]

श्रमिकों की मजूरी में अन्तरिम वृद्धि करने के बारे में संकल्प

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : मैं कलकत्ता के कहवा बागान उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की श्रमिकों घी मजूरी में अन्तरिम वृद्धि किये जाने के बारे में सिफारिशों सम्बन्धी दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०—३(५३)/६२ की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-६१६/६२)

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब खण्डवार चर्चा होगी । माननीय मंत्री जी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : कार्य आरम्भ होने से पहले मैं आपका ध्यान सभा की बैठक के समय के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह संसद-कार्य मंत्री ने कहा था कि सभा की बैठक १२ बजे से शुरू होगी क्या बाद में इस पर निश्चय किया जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि सभा की बैठक का समय क्या रखा गया ।

†**अध्यक्ष महोदय**: इस पर विचार कर लिया गया है और समय शेष सत्र के लिय १२ से ५ रहेगा ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : खण्ड ३ से सम्बन्धित संशोधनों के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ नये सुझाव दिये हैं । जब कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इन अधिकारों का विस्तार में उपयोग किया जाना चाहिये तभी कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इनका उपयोग सोच समझ कर किया जाना चाहिये । उन्होंने यह भी आशंका प्रकट की कि उनका दुरुपयोग भी हो सकता है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि उन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये जो खण्ड ३ की योजना के विरुद्ध हो ।

खण्ड ३ के सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान उप-खण्ड (१) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें वह विभिन्न उद्देश्य बताये हैं जिनके आधार पर नियमों का श्रेणीकरण किया गया है । सामान्यतः तीन श्रेणियां हैं जिनमें एक भारत की रक्षा तथा असैनिक सुरक्षा । यही बहुत महत्वपूर्ण है । सैनिक कार्य-वाहियों का उप-खण्ड (१) तथा (२) में बताया गया है कि संघ की सशस्त्र सेनाओं, जहाजों तथा विमानों आदि की सुरक्षा होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

इसी प्रकार उपखण्ड (२) है। सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि मोर्चों पर लड़ने वाले सैनिकों की सहायता करने के लिये हमें कुछ कदम उठाने चाहियें। इस लिये आपातकाल की घोषणा का पहला उद्देश्य यह है कि असैनिक क्षेत्रों में भी युद्ध के कार्य होते रहें।

इसके अतिरिक्त हमें जनता की सुरक्षा तथा शांति बनाये रखने की चिन्ता करनी है। यह इस लिये आवश्यक है क्योंकि जनता की सुरक्षा बनाये रखने से तथा शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने से युद्ध प्रयत्नों को आगे बढ़ाना संभव होगा। यह दोनों आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

तीसरी तथा अन्तिम श्रेणी जनता को अत्यावश्यक सामानों का संभरण आदि है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन भी पेश किये हैं। इस सम्बन्ध में डा० क० ला० राव ने बताया है कि आपातकाल में क्या कार्यवाही की जा रही है कि खाद्यान्नों को उत्पादन बढ़ाने को उचित प्रोत्साहन मिले और संभरण बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में युद्ध काल में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये थे। उन्होंने बताया कि लगभग ६० एकड़ भूमि में खेती शुरू कर दी गई और अतिरिक्त ७० प्रतिशत खाद्य उत्पादन के लक्ष्य पूरे किये गये। इस लिये खाद्य उत्पादन का पूरी तरह से ध्यान रखना जरूरी है जिसमें युद्ध प्रयत्नों को बढ़ावा मिले।

इस प्रकार आप को मालूम हो जायेगा कि भारत की प्रतिरक्षा के बारे में जो नियम बनाये गये हैं उन का इन तीनों श्रेणियों में खण्ड ३ के उपखण्ड (१) में बताई गई है, से सीधा सम्बन्ध है। इस प्रकार आप देखें कि नियम बनाये गये और इसका ध्यान रखा गया कि इन नियमों को कठोरता से लागू किया जाये। इस के साथ साथ इन नियमों को उचित रूप में लागू कराने के उद्देश्य से ही उपखण्ड में यह व्यवस्था रखी गई है कि 'जहां कही तथा जितना संभव हो'। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि माननीय सदस्यों ने जिस सावधानी की मांग की है वह सावधानी हमने बरती है।

दूसरी बात माननीय सदस्यों ने यह कही थी कि क्या भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अधीन अधिकारों का प्रत्यायोजना केवल गजटेड अफसरों को ही दिया जायेगा। जैसाकि बताया जा चुका है कि इन नियमों को विभिन्न अधिकारी विभिन्न स्तरों पर लागू करेंगे। इन नियमों को केवल गजटेड अफसर लागू करें ऐसा सम्भव नहीं है। कुछ स्तरों पर आवश्यक हो जाता है कि छोटे कर्मचारी राज्यों अथवा केन्द्र में इसको लागू करें। अन्यथा नियमों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस सम्बन्भ में भी मैं सदस्यों को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि नियमों को आवश्यक होने पर ही लागू किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि एक जुर्माने का उपबन्ध भी होना चाहिये जिससे सरकारी अधिकारी प्राधिकार का गलत उपयोग न कर पायें। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों पर सर्वथा सरकारी कर्मचारी आभार नियम लागू रहते हैं। इन नियमों का उल्लंघन होने का उनको बड़े से बड़ा जुर्माना देना पड़ता है।

हमें केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर विश्वास करना होता है। हम इसका ध्यान रखते हैं कि जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करें तो उनके कार्यों का अधीक्षण अन्य अधिकारी करें। जब भी कभी कोई कर्मचारी कर्तव्य पालन करने से विमुख पाया जाता है तो उसके खिलाफ केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार कार्यवाही करती है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विधेयक की पुरस्थापना के बाद हमने सभा के सदस्यों की प्रतिक्रिया जानने के लिये माननीय सदस्यों की एक बैठक बलाई थी जो कि दो दिन तक चलती रही।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह केवल दो घंटे हुई थी तथा दो दिन नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दो दिनों में दो घंटे हुई थी ।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्यों ने उस समय कुछ सुझाव दिये थे तथा सरकार ने उन सुझाओं को स्वीकार कर लिया था । इसीलिये मैंने उन सुझाओं पर इतने संशोधन पेश कर दिये हैं मैंने सभा में सदस्यों द्वारा पेश किये गये कुछ संशोधनों को भी स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री रंगा (चित्तूर)** : माननीय मंत्री ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार आदि करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लये भी ऐसा कोई उपबन्ध किया गया है ।

†**श्री दातार** : इस सम्बन्ध में हमने श्री संथानम के सभापतित्व में हाल में ही एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था और कुछ सुझाव दिये थे जिनको सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

स्वतन्त्र पार्टी के नेता माननीय सदस्य ने कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ अधिकारों के बारे में आशंका प्रकट की है कि इससे सरकार का विचार सहकारी खेती सम्बन्धी सुधार करने का तो नहीं है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह तो राज्य सरकारों का अपना मामला है और वह जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं । सरकार का विचार इन नियमों के अधीन ऐसी कोई आर्यवाही करने का नहीं है ।

मेरे मित्र श्री कामत चाहते हैं कि संशोधन संख्या १४० स्वीकार कर लिया जाये । यह कुछ मित्रों के सम्बन्ध में है । यह सब खण्ड ३(२) (छ) (ङ) के अधीन आ जाता है । इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा नियम ४४ तथा ४६ इसी सम्बन्ध में हैं और इनका संशोधन यह माननीय सभा ही कर सकती है । जो सुझाव उन्होंने दिया है उस पर आवश्यक होने पर पूरी तरह विचार किया जायेगा ।

कई माननीय सदस्यों ने निरोध के सम्बन्ध में सुझाव दिये । उनका यह कहना है कि निवारक निरोध अधिनियम के अधीन उपबन्धित अधिकार पर्याप्त हैं । उहोंने दूसरी बात यह कही कि निरोध के कारण आदि बताने की प्रतिक्रिया इसमें भी बरती जानी चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी यह राष्ट्र हित में नहीं होता कि निरोध के कारण बतायें जायें । दूसरे इसमें पहले अधिनियम के समान लम्बी प्रक्रिया रखना भी व्यवहार्य नहीं है । परन्तु उस अनौपचारिक समिति में यह सुझाव किया गया था कि निरोध के आदेश जिलाधीश से कम स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं दिये जाने चाहिये । हमने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है । यह भी बताया गया था कि निरोध के आदेश दिये जाने के बाद उसके सम्बन्ध में विचार करने के लिये कोई अन्य अधिकारी भी होना चाहिये । सरकार ने उस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया है । और संशोधन संख्या १०८ प्रस्तुत कर दिया है । पुनरीक्षण अधिकारी जिलाधीश से बड़ा ही अधिकारी होगा । सरकार ने सिद्धांत रूप में इसको स्वीकार कर लिया है कि आवश्यक होने पर पुनरीक्षण अधिकारी होना चाहिये । अब सरकार इस पर विचार करेगी कि वह अधिकारी कौन हो। मुझे पूरा विश्वास है कि पुनरीक्षण अधिकारी के सामने कागजात जाने पर वह उन पर अवश्य विचार करेगा ।

मैं समझता हूं इन दोनों सुझावों को स्वीकार करके सरकार ने माननीय सदस्यों की इच्छाओं का पर्याप्त आदर किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : पुनरीक्षण अधिकारी उच्चन्यायालय का एक न्यायाधीश होना चाहिये ।

†**श्री दातार**: मैं बताना चाहता हूं कि यह आपातकाल है और आपातकाल में निरोध के कारणों को जाहिर करना उचित नहीं होगा ।

माननीय सदस्यों ने निरोध के अधिकारों के बारे में आशंका प्रकट की है । इन आशंकाओं को दूर करने के लिये ही मैंने दो सुझाव स्वीकार कर लिये हैं जिन में से एक है कि निरोध आदेश जिलाधीश दे तथा दूसरे आदेशों का पुनरीक्षण हो । परन्तु यह संभव नहीं है कि इस सम्बन्ध में निवारक निरोध अधिनियम के उपबन्धों अथवा नियमों का सहारा लिया जाये ।

अब मैं श्री कामत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १४३ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । वह अपने संशोधन द्वारा मेरे संशोधन संख्या १११ में "खाद्यान्नों तथा औषधियों" शब्द रखना चाहते हैं । मैं समक्षता हूं कि मेरे द्वारा प्रयुक्त शब्द पर्याप्त हैं ।

अगले संशोधन कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में हैं। मैं इस सम्बन्ध में पहले भी उल्लेख कर चुका हूं कि संभव है आवश्यक हो जाये कि खाद्यान्न उत्पादन के लिये कोई बड़ाने कार्यवाही की जाये । इसीलिये हमने उपखण्ड (१) में कुछ कार्यों का उल्लेख किया है । मैं यह बता चुका हूं कि सरकार भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अधीन जो शक्तियां ग्रहण कर रही है उनका उयोग सहकारी कृषि या सामूहिक खेती के लिये नहीं किया जायेगा । राज्य सरकारें इस कार्य को सहकारिता से संबंधित सामान्य विधि से भी कर सकती हैं । सरकार इन नियमों की आड़ में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती है ।

कई माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में संदिग्ध हैं यही कारण है कि इस सम्बन्ध में बहुत अधिक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं । तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि खाद्य उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिये इन उपबन्धों का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है । अतः इन शक्तियों को अपने हाथों में रखना होगा ।

जहां तक श्री रंगा के संशोधन का तात्पर्य है कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन जो कुछ भी किया जाये उसके अधीक्षण के लिये एक संसदीय समिति होनी चाहिये । यह सुझाव अव्यवहारिक है क्योंकि इन नियमों को अमल में लाने की जिम्मेदारी विभिन्न राज्य सरकारों की है । अतः सरकार उसे स्वीकार नहीं कर सकती है । अतः जब भी सुझाव दिये जायेंगे सरकार उन पर सावधानी से विचार करेगी । अतः सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को केवल उन्हीं अंशों तक स्वीकार किया जायेगा जहां तक वे मेरे मत से सहमत होगे । मैं श्री कामत के संशोधन संख्या १३८ और १६९ को स्वीकार करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४, पंक्ति ७ —

" entering " ["प्रवेश करना"] शब्द के पश्चात् ", " रख दिया जाये (१३८)

पृष्ठ ४ पंक्ति २४, —

" Purpose " ["प्रयोजन"] शब्द के पश्चात " ," रख दिया जाय । (१३९) ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि श्री दातार द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर, जो कि संशोधनों की सूची संख्या ५ में से १११ पर मुद्रित है, — प्रस्तावित नया खंड (३५ ख) में " hoarding " [जमाकरण] शब्द के पश्चात् " profiteering " ["मुनाफाखोरी"] शब्द रख दिये जाये (१४२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री नर सिन्हा रेड्डी** (राजमपेट) : मैं संशोधन संख्या ३ वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या ३, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४३, ६६, १८, ७०, ७१ तथा ३१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४१ मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में कत विभाजन हुआ ।

पक्ष में ५४ : विपक्ष में १२४

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** : संशोधन संख्या १ और २ पर मतदान लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिय रखता हूं ।

सभा में मत विभाजन हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : बिजली न आने के कारण मशीन काम नहीं कर रही है । मतदान के लिये माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायें । उनके नाम लिख दिये जायेंगे । विपक्ष में मतदान करने की संख्या बहुत अधिक है इसी लिये दोनों संशोधन बहुत अधिक हुए ।

संशोधन अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४६, २३, २५, ५५, २७, २६ तथा ३१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सरकारी संशोधन प्रस्तुत करता हूं : प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ ४, पंक्ति २० में " Enemy Territory ,, ["शत्रु प्रदेश"] के पश्चात् "or occupied Territory" [आक्रांत प्रदेश] शब्द रख दिये जायें । (१०३)

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

(२) पृष्ठ ४ पंक्ति २४ में से " false " ["झूठ"] शब्द हटा दिया जाये । (१०४)

(३) पृष्ठ ४,—

पंक्ति ३१ से ३९ के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें । (१०५)

"(7) (a) prohibiting the printing or publishing of any newspaper, news-sheet, book or other document containing matters prejudicial to the defence of India and civil defence, the public safety, the maintenance of public order, the efficient conduct of military operations or the maintenance of supplies and services essential to the life of the community;

(b) demanding security from any press used for the purpose of printing or publishing, and forfeiting the copies of, any newspaper, news-sheet, book or other document containing any of the matters referred to in sub-clause (a);

(c) forfeiture of such security and the circumstances in which and the authority by whom such forfeiture may be ordered;

(d) closing down any press or any premises used for the purpose of printing or publishing any newspaper, news-sheet, book or other document, contoining any of the matters referred to in sub-clause(a) in spite of the forfeiture of such security."

"(७) (क) ऐसे किसी अखबार, समाचारपत्र, पुस्तिका तथा अन्य मसविदे, जिसमें भारत की सुरक्षा नागरिक रक्षा, लोक रक्षा, व्यवस्था को बनाये रखना, सैनिक कार्यों तथा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक संभरण और सेवाओं के संधारण को हानि पहुंचाने वाली बातें हों, उनके प्रकाशन अथवा मुद्रण पर प्रतिबंध ;

(ख) ऐसे किसी प्रैस से जमानत की मांग करना जिसका उपयोग मुद्रण तथा प्रकाशन के लिये किया गया हो, तथा ऐसे अखबार, समाचारपत्र, पुस्तिका तथा अन्य मसविदों की प्रतियों को जब्त करना जिनमें उपखंड (ख) में उल्लिखित बातों का प्रकाशन किया गया हो;

(ग) ऐसी जमानत का जब्त करना तथा वे स्थितियां अथवा वह अधिकारी जिसके द्वारा जब्ती का आदेश दिया गया हो ;

(घ) ऐसी किसी जमानत के जब्त कर लेने के बावजूद भी ऐसे प्रैस अथवा अहाते को बन्द करना जिसका उपयोग ऐसे अखबार, समाचारपत्र, पुस्तिका या अन्य मसविदों के मुद्रण अथवा प्रकाशन में किया गया हो, जिनका उल्लेख उपखंड (क) में किया गया है । (१०५)

(४) पृष्ठ ६ पंक्ति ११—

" as the care may be " ["जैसा भी मम्मला हो"] के स्थान पर यह शब्द रख दिये जायें ;

"(the authority empowered to detain not being lower in rank than that of a District Magistrate)"

["हिरासत में बन्द करने का आदेश देने वाला अधिकारी पद में जिला मजिस्ट्रेट से छोटा नहीं होगा"] (१०६)

(५) पृष्ठ ६, पंक्ति २४, से "and" ("और") शब्द हटा दिये जायें । [१०७]

(६) पृष्ठ ६,—

पंक्ति २६ के पश्चात् यह शब्द रख दिये जायें :

"(iv) the review of orders of detention passed in pursuance of any rule made under sub-clause (i)".

["(४) उपखंड १ के अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसरण में नजरबंदी के लिये दिये गये आदेशों पर पुनर्विचार] (१०८)

(७) पृष्ठ ७—

पंक्ति १६ के पश्चात् यह शब्द रख दिये जायें ।

"(24A) the taking over by the Central Government or the State Government, for a limited period, of the management of any property (including any undertaking) relating to supplies and services essential to the life of the community."

["(२४-क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा सीमित अवधि के लिये ऐसी सम्पत्ति (जिसमें कोई उपक्रम भी शामिल है) का ले लिया जाना जो समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक संभरण और सेनाओं से संबंधित हो "] (१०९)

(८) पृष्ठ ७—

पंक्ति ३५ और ३६ को हटा दी जायें (११०)

(९) पृष्ठ ८,—

पंक्ति १६ के **पश्चात्** ये शब्द **रख दिये जाएं** :

"(35A) the prevention of any corrupt practice or abuse of authority or other *mala fide* action in relation to the production, storage, purchase, sale supply or transport of goods for any purpose connected with the defence of India and civil defence, the efficient conduct of military operations or the maintenance of supplies and services essential to the life of the community;

(35B) the prevention of boarding, blackmarketing, or adulteration of, or any other unfair practices in relation to any goods procured by or supplied to the Government or notified by or under the rules as essential to the life of the community."

["(३५-क) भारत की प्रतिरक्षा और असैनिक रक्षा, सैनिक कार्यवाही का कुशल संचालन अथवा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक संभरण और सेवाओं को बनाये रखने से संबंधित सामान का उत्पादन, भांडागार, क्रय, विक्रय संभरण तथा परिवहन से संबंधित कदाचार, अधिकार के दुरुपयोग तथा दुराशय के निवारण ;

(३५ ख) सरकार को संभरित किये गये अथवा सरकार द्वारा प्राप्त किये गये अथवा इन नियमों के अधीन अधिसूचित, समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के जमा करने, और चोर बाजारी, अपमिश्रण तथा अन्य कदाचारों का निवारण) (१११)

(१०) पृष्ठ ६ पंक्ति ३३,—

अंत में "and aircrafts' ["और विमान"] शब्द जोड़ दिये जायें । (५९)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या ३, २७ और २९ सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

संशोधन किये गये ।

[अध्यक्ष महोदय]

पृष्ठ ४ पंक्ति २२ के अंत में "or military operations" ["अथवा सैनिक कार्यवाहियां"] **जोड़** दिया जायें (४९)

पृष्ठ ५ पंक्ति ९ में "roads" ["सड़कें"] शब्द के पश्चात् "bridges" ["पुल"] **जोड़** दिया जाये । (४३)

पृष्ठ ६ पंक्ति २९ में अंत में "and aircrafts" [और विमान"] जोड़ दिया जाये । (४७)

पृशठ ६ पंक्ति ३२ में "dockyards and shipyards" ["डैकयार्ड और शिपयार्ड"] शब्दों के **स्थान पर** "dockyards stupyards and aerodromes" ["डाकयार्ड, शिपयार्ड तथा हवाई अड्डे"] शब्द **शब्द रख दिये जायें** । (४८)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : **(श्री दातार)**

कि खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन ५६ को लेता हूं जिसका उद्देश्य खंड ३ क और ३ ख को रखना है ।

†**श्री हाथी** : मैं संशोधन संख्या ५६ प्रस्तुत करता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड ४ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ५—(दंडों में वृद्धि)

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ११ पंक्ति २२ में "any person" ["कोई व्यक्ति"] शब्द के **पश्चात्** "contravanes" ["उल्लंघन करता है"] शब्द **रख लिये जायें** । (११२)

पृष्ठ ११ पंक्ति २४ से "contravanes" ["उल्लंघन करता है"] शब्द हटा दिया जाये । (११३)

†**श्री दाजी** : मैं संशोधन सख्या ७२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नम्बियार** : मैं संशोधन संख्या ७३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस संबंध में दो अन्य संशोधन, श्री काशीराम गुप्त का संशोधन संख्या ३२ और चार अन्य सदस्यों के नाम पर संशोधन संख्या ५७ भी आया है तथापि कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नम्बियार :** मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि पृष्ठ ११ की पंक्ति २४ और २५ में से "धारा ३ के अधीन बनाये गये नियमों में से किसी उपबंध अथवा किसी ऐसे नियम के अधीन दिये गये आदेश का उल्लंघन करता है" शब्द हटा लिये जायें। क्योंकि ऐसा उपबंध बहुत व्यापक हो जायेगा सीधा प्रश्न यह है कि यदि भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की भावना है तो उसे दंड दिया जाये। तथापि हममें किसी ऐसे कार्य को भी दंडनीय ठहराया गया है जो इसके उपबंधों के उल्लंघन करने की भूमिका मात्र हो यदि इस व्यवस्था के मतलब को चर्म सीमा तक ले जाया जाए, तो इस व्यवस्था के अन्तगत किसी भी बात को लाया जा सकता है। अतः मेरा संशोधन जिन शब्दों को हटाना चाहता है उन के हटाने से खण्ड का अर्थ साफ हो जाता है। तब इस का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का विचार रखता है या भारत पर आक्रमण करने वाले देश की सहायता करता है तो उसे मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास का दण्ड दिया जा सकता है और आशा है कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन को मान लेंगे।

†**श्री दाजी :** यह खण्ड अच्छी प्रकार से नहीं लिखा गया है। इंगलैण्ड में जो कानून है उस के शब्द भी ऐसे नहीं हैं। वर्तमान रूप में इस खण्ड का अर्थ बहुत व्यापक है। अतः किसी प्रकार का प्रतिबन्ध आवश्यक है कि इस के दुरुपयोग के लिए किसी को प्रोत्साहन न मिले। इसीलिए मैं ने संशोधन प्रस्तुत किया है।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : यह खण्ड इतना व्यापक और अस्पष्ट है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसे पारित करने के लिए अनुमति नहीं दे सकता।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

इस व्यवस्था में खण्ड ३ के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों के उल्लंघन के लिए कड़ी सजा का जिक्र है। यह कितनी असाधारण बात है। नियम अभी सामने नहीं है तो उनके उल्लंघन के लिए सजा को कैसे पारित किया जा सकता है। अतः इस खण्ड को इसी रूप में स्वीकार करना सम्भव नहीं।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** सरकार ने कुछ संशोधन से अर्थ स्पष्ट कर दिया है। अब यह कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध छेड़ने या भारत पर आतक्रमण करने वाले किसी देश की साहायता के इरादे से इन नियमों का जल्लंघन करता है तो उसे निर्धारित सजा दी जाएगी।

यह बहुत अच्छा होगा यदि इस व्यवस्था को पुनः लिखा जाएगा ताकि इस अधिनियम के उल्लंघन करने पर कार्यवाई की जाए न कि उसके अधीन बनाए गए नियधों का उल्लंघन करने पर।

†**श्री रंगा :** क्या यह सम्भव नही कि नियमों का जिक्र हटा दिया जाए।

†**श्री दातार :** यह कैसे हो सकता है। नियम ही तो प्रवर्ती है।

†**श्री रंगा :** न्यायालय में यह भी कहा जा सकता है कि कोई नियम किसी धारा से सम्बन्धित नहीं हैं। अतः धारा तक ही व्यवस्था को सीमित रहने दिया जाये।

†**श्री दातार** : यह तो उन सब व्यवस्थाओं के विरुद्ध हो जायेगा जिन के अन्तर्गत नियम बनाने हैं। जिन विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने दे दिये गये हैं लगभग ५५ हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

जहां तक डा० अणे की आपत्ति का सम्बन्ध है, खण्ड ५(१) और खण्ड ५(२) में भेद है। जहां तक मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास का सम्बन्ध है उन का तो खण्ड ५(१) से सम्बन्ध है। जहां तक खण्ड ५(२) का सम्बन्ध हैं, सज़ा कम है। उस के लिये ५ वर्ष तक की कैद की सज़ा है। अतः माननीय मंत्री यदि दोनों खण्डों को एक साथ पढ़ें तो पता चलेगा कि मृत्यु दण्ड तो बहुत ही कम मामलों में होगा।

†**श्री नम्बियार** : खण्ड ३ के अन्तर्गत कुछ नियम हैं। ये नियम जो इसी खण्ड ३ के अधीन प्रयोग में लाये जायेंगे।

†**श्री दातारः** : यह बिल्कुल ठीक है। नियम तो सभा पटल पर रखें जायेंगे।

†**श्री नम्बियार** : वे तो पहले ही रख दिये गये हैं।

†**श्री दातार** : नियम तो कानून की तरह लागू होंगे।

†**श्री नम्बियार** : अतः मृत्युदण्ड तो उन नियमों के सम्बन्ध में होगा जोकि सभापटल पर रख दिये गये हैं और जिन की हमारे पास प्रति है।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : यह तो स्पष्ट व्यवस्था है। युद्ध के समय ऐसा होता ही है। यदि कोई देश की सुरक्षा के विरुद्ध जाय तो उसे फांसी दी जागीये।

†**श्री दाजी** : किसी देश में ऐसा नहीं किया जाता है।

†**श्री कृ० चं० शर्मा**: युद्ध में ऐसी चीज़ें की जाती हैं।

†**श्री दाजी** : युद्ध काल में यह इंग्लैंड में था और कहीं ऐसा नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

(१) पृष्ठ ११, पंक्ति २२ में—

" any person " ["कोई व्यक्ति"] शब्दों के पश्चात् " contravanes " ["उल्लंघन करता है"] शब्द जोड़ दिये जायें। (११२)

(२) पृष्ठ ११, पंक्ति २४ से—

" Contravenes " ["उल्लंघन करता है"] शब्द हटा दिये जायें। (११३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ७२ और ७३ सदन के सामने रखूंगा।

संशोधन संख्या ६२ और ६३ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदयः** प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ६—(अधिनियमों के अस्थायी संशोधन) संशोधित किये गये

(१) पृष्ठ १४, पंक्तियां १३ और १४ में—

" not exceeding five years " ["पंचवर्ष से अधिक नहीं"] शब्दों के स्थान पर "or for the period of operation of this Act, whichever is less " ["या इस अधिनियम के लागू रहने की अवधि के लिये जो भी कम हो"] शब्द रख दिये जायें । (११४)

(२) पृष्ठ १४, पंक्ति ४१,—

" State Government " ["राज्य सरकार"] शब्दों के स्थान पर "Central Government or the State Government" ["केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार"] शब्द रख दिये जायें । (११५)

(३) पृष्ठ १५, पंक्ति २—

" Statement Government " ["राज्य सरकार"] शब्दों के स्थान पर "Central Government or, as the case may be, the State Government ["केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी हो"] शब्द रख दिये जयें । (११६)

[श्री बातार]

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

सभापति महोदय : अब खण्ड ६क, संशोधन ७५ ।

†श्री कि० पटनायक (सम्बलपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या ७५ प्रस्तुत करता हूं ।

†सभापति महोदय : मैं संशोधन सख्या ७५ सभा के सामने मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या ७५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†सभापति महोदय : खण्ड ७ से १२ के लिये कोई संशोधन नहीं प्रस्तुत किये गये हैं ।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ७ से १२ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ से १२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १३—(विशेष न्यायाधिकरणों का बनाया जाना)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १७, पंक्ति १९—

" has exercised " ["प्रयोग किया है"] शब्दों के स्थान पर "has for a total period of not less than three years exercised, whether continuously or not."

["लगातार या बीच में से हट कर तीन वर्ष से कम की कुल अवधि के लिये प्रयोग किया है"] शब्द जोड़ दिये जायें । (११७)

(२) पृष्ठ १७, पंक्ति २५ के बाद—

" (3) At least one member of a Special Tribunal shall be qualified for appointment thereto under clause (a) of sub-section (2), and where only one member is so qualified under that clause, at least one other member shall be qualified for appointment under clause (b) of that sub-section by virtue of having exercised powers exclusive of those specified in sub-clause (ii) of the said clause (b)."

["विशेष न्यायाधिकरण का एक सदस्य उपधारा २ के खण्ड (क) के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त हो, और यहां उस खण्ड के अन्तर्गत केवल एक ही सदस्य इस प्रकार की अर्हता प्राप्त हो, कम से कम एक अन्य सदस्य उस उपधारा के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उस नियुक्ति के लिये अर्हता प्राप्त होगा और ऐसा उक्त खण्ड (ख) की उपधारा (२) में निर्दिष्ट शक्तियों के पूर्ण प्रयोग करने के कारण होगा ।"] (११८)

†**श्री दाजी** : मैं संशोधन संख्या ७६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नम्बियार**: मैं संशोधन संख्या ७७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दाजी** : मैं संशोधन संख्या ७८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नम्बियार** : मैं संशोधन संख्या ७९ प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड १३ और अध्याय ४ के कुछ अन्य खण्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं । ये विशेष न्यायाधिकरणों के बनाये जाने के बारे में हैं । राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को जिन अपराधों से खतरा हो, उन अपराधों का फैसला विशेष न्यायाधिकरण करेंगे । विशेष न्यायाधिकरण मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास और दस वर्ष की कैद आदि की सजा दे सकता है । अतः इन न्यायाधिकरणों की बहुत शक्तियां हैं । इन न्यायाधिकरणों में सैशन जज, अडीशनल सैशन जज, चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट, अडीशनल प्रैसीडेंसी मैजिस्ट्रेट और अडीशनल प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट आदि नियुक्त किये जा सकते हैं । यदि ये न्यायाधिकरण ५ वर्ष से कम सजा दें तो कोई अपील नहीं हो सकती । इन न्यायाधिकरणों पर कुछ प्रतिबन्ध होने चाहियें । अतः मेरा संशोधन न्यायाधिकरणों में नियुक्त किये जा सकने वाले व्यक्तियों में से चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट और अडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को निकाल दिया जाये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन सख्या ३३ प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड १२ के अधीन जो न्यायाधिकरण बनाये जायें उन में हाई कोर्ट के जज नियुक्त किये जायें, क्योंकि इन की शक्तियां बहुत हैं ।

†**श्री दाजी**: यह व्यवस्था है कि साक्ष्य का सारांश ही रखा जायेगा । यह समझ में नहीं आता कि साक्ष्य पूरा क्यों न रखा जाये । इस प्रकार से मुकद्दमे के अन्त में बहस करना कठिन होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपील की भी कोई व्यवस्था नहीं है । यह तो एक बुनियादी अधिकार है । इसे न देने से तो सन्देह पैदा होते हैं । चूंकि सामान्य प्रक्रिया को काटा जा रहा है, अतः अपील करने का अधिकार और भी आवश्यक है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** मैं संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं । इस में यह व्यवस्था है कि कम से कम एक सदस्य उच्च न्यायालय में जज नियुक्त किये जाने के योग्य हो ।

†**श्री दातार :** मेरा संशोधन संख्या ११८ इस संशोधन का काफी हद तक पूरा करता है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** मेरा संशोधन अधिकतर स्पष्ट है । उसे मान लेना चाहिये ।

†**श्री काशीराम गुप्त :** अडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कार्यपालिका का भाग होते हैं । अतः उन से न्याय की आशा नहीं की जा सकती । ऐसे लोगों को न्यायाधिकरणों में नहीं रखना चाहिये ।

†**श्री रंगा :** मैं श्री नम्बियार और श्री दाजी के संशोधनों का समर्थन करता हूं । डिस्ट्रिक्ट और अडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को न्यायाधिकरण में नहीं रखना चाहिये । ये पदाधिकारी कार्यपालिका में आते हैं । अतः वे उतनी अच्छी तरह से इन्साफ नहीं कर सकते जितनी अच्छी तरह से सैशन जज कर सकते हैं । दूसरे मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास और ५ वर्ष या अधिक सजा होने पर भी अपील की इजाज़त नहीं है । चूंकि इन न्यायाधिकरणों की बहुत शक्तियां हैं, अतः हाई कोर्ट का जज या निवृत्त हाई कोर्ट का जज न्यायाधिकरण में नियुक्त किया जाना चाहिये ।

अतः माननीय मंत्री मेरा संशोधन और श्री नम्बियार और श्री दाजी के संशोधनों को स्वीकार करें ।

†**श्री किशन पटनायक :** मैं संशोधन संख्या ८० को प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दातार:** मैं ने माननीय सदस्यों के कुछ सुझाव तो मान लिये हैं । संशोधन संख्या ११७ और ११८ की ओर ध्यान दीजिये । संशोधन संख्या ११७ के अनुसार ३ वर्ष के अनुभव पर बल दिया जाता है । संशोधन संख्या ५ में जो कहा गया है वह संशोधन संख्या ११८ में है । संशोधन ५ में यही कहा गया है कि नियुक्ति के लिये योग्य हों ।

दो और संशोधन हैं—१५३ और १५६ । १५३ के अन्तर्गत अब पूरा साक्ष्य पांच वर्ष अथवा अधिक के कारावास के मामलों में दर्ज किया जायेगा न कि दस वर्ष और उस से अधिक के कारावास में जैसाकि मूलतः उपबन्ध था ।

१५६ के अन्तर्गत उन समस्त मामलों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी । हम ने माननीय सदस्यों की इच्छाओं को काफी हद तक मान लिया है । प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट और अडीशनल मैजिस्ट्रेट बहुत अनुभवी मैजिस्ट्रेट होते हैं ।

दो संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किये हैं और अन्य दो संशोधन जिनका मैंने जिक्र किया है उन को ध्यान में रखते हुये माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर बल नहीं देंगे ।

†**सभापति महोदय** : पहले मैं संशोधन संख्या ५, ३३, ७६, ७७, ७८ और ७९ को इकट्ठा मतदान के लिये रखूंगा ।

संशोधन संख्या ५, ३३, ७६, ७७, ७८, ७९ और ८० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : अब मैं दो सरकारी संशोधन मतदान के लिये रखूंगा ।

(१) पृष्ठ १७, पंक्ति १९ ।

" has exercised " ["प्रयोग किया है"] शब्दों के स्थान पर

"has for a total period of not less than three years exercised whether continuously or not."

["लगातार या बीच में से हट कर तीन वर्ष से कम की कुल अवधि के लिये प्रयोग किया है"] शब्द जोड़ दिये जायें " । (११७)

(२) पृष्ठ १७, —

पंक्ति २५ के बाद —

"(3) At least one member of a Special Tribunal shall be qualified for appointment thereto under clause (a) of sub-section (2), and where only one member is so qualified under that clause, at least one other member shall be qualified for appointment under clause (b) of that sub-section by virtue of having exercised powers exclusive of those specified in sub-clause (ii) of the said clause (b)."

["विशेष न्यायाधिकरण का एक सदस्य उपधारा २ के खंड (क) के अन्तर्गत अर्हता प्राप्त हो, और यहां उस खंड के न्तर्गत केवल एक ही सदस्य इस इस प्रकार की अर्हता प्राप्त हो, कम से कम एक अन्य सदस्य उस उपधारा के खंड (ख) के अन्तर्गत उस नियुक्ति के लिये अर्हता प्राप्त होगा और ऐसा उक्त खंड (ख) की उपधारा (२) में निर्दिष्ट पंक्तियों के पूर्ण प्रयोग करने के कारण होगा "] । (११८)

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुए ।

खण्ड १२, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय** : अब हम खंड १४ पर आते हैं ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ १७, —

पंक्ति ३० और ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"(b) punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term which may extend to ten years under section 5 of this Act or under sub-section (4) of section 5 of the Indian Official Secret Act, 1923 as amended by section 6 of this Act."

["(ख) इस अधिनियम की धारा (५) के अन्तर्गत मृत्युदंड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास अथवा ५ वर्ष की अवधि तक का कारावास दिया जा सकता है अथवा भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, १९२३, इस अधिनियम की धारा ६ द्वारा संशोधित रूप में धारा ५ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है "] । (११९)

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : अब मैं इसे मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ १७, —

पंक्ति ३० और ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"By punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for term which may extend to ten years under section 5 of this Act or under sub-section (4) of section 5 of the Indian Official Secrets Act, 1923, as amended by Section 6 of this Act"

["(ख) इस अधिनियम की धारा (५) के अन्तर्गत मृत्युदण्ड दिया जा सकता है, आजीवन कारावास अथवा ५ वर्ष की अवधि तक का कारावास दिया जा सकता है अथवा भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, १९२३, इस अधिनियम की धारा ६ द्वारा संशोधित रूप में धारा ५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता है"] (११९)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :—

"खंड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १५—विशेष न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया

†**सभापति महोदय** : खंड १५ के कौन से संशोधन हैं ?

†**श्री दातार**: मैं प्रस्ताव करता हूं :—

संशोधन की सूची संख्या ५ में संख्या १२० पर छपे हुये मेरे संशोधन के स्थान पर निम्न लिखित संशोधन रख दिया जाये :—

पृष्ठ १८, पंक्ति ४, —

"imprisonment for life [आजीवन कारावास] शब्दों के स्थान पर "imprisonment for life or imprisonment for a term which may extend to five years or more"

[आजीवन कारावास या ५ वर्ष या अधिक समय के लिये कारावास] शब्द रख दिये जायें। (१५३)

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३५ और ३६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नम्बियार** : मैं संशोधन संख्या ८१, ८३ को प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी :** मैं संशोधन संख्या ८२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** मैं संशोधन संख्या ६ और ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं संशोधन संख्या १४६ और १४७ को प्रस्तुत करता हूं ।

हम नहीं चाहते कि लोगों को केवल सारांश के आधार पर दंडित किया जाये । मेरा सुझाव है कि साक्ष्य को अच्छी तरह रिकार्ड किया जाये । मेरे दो संशोधनों से कोई हानि नहीं हो सकती । इस लिये माननीय मंत्री को इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** मेरे संशोधन संख्या ६ का उद्देश्य यह है कि खंड १५ का उपखंड (१) निकाल दिया जाये । विशेष न्यायाधिकरण को साक्ष्य विस्तृत रूप से लिखित रूप से लिया जाना चाहिये ।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी :** मैं इन दो माननीय सदस्यों के संशोधनों का समर्थन करता हूं । मैं अनुभव करता हूं कि साक्ष्य लिखित रूप से लेना आवश्यक है ।

†**श्री नम्बियार :** साक्ष्य को लिखित रूप में लेने में क्या हानि है और इस के विरुद्ध आपत्ति क्या हो सकती है मैं भी चाहता हूं कि खंड १५ की उपखंड (२) निकाल दिया जाये । इसी तरह उपखंड (५) को भी निकाल देना चाहिये ताकि मुकदमा साधारण रूप से चल सके । मैं आशा करता हूं कि मेरे दो संशोधन स्वीकार कर लिये जायेंगे ।

†**श्री हिर विष्णु कामत :** संशोधन संख्या १४६ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि खंड १५ का उप-खंड (१) उचित नहीं क्योंकि इस से विशेष न्यायाधिकरणों को यह शक्ति मिलती है कि अभियुक्त को उनके सामने लाने की आवश्यकता ही नहीं है । इस उपबन्ध का बहुत दुरुपयोग हो सकता है ।

मेरे संशोधन संख्या १४० के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने स्वयं एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिस में "१० वर्ष" के स्थान पर "५ वर्ष" रखा गया है, किन्तु उनके शब्द '५ वर्ष या अधिक' कानूनी भाषा में ठीक नहीं है । ये बिल्कुल अस्पष्ट हैं और इन को बदलना चाहिये ।

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : माननीय सभापति जी, मैं श्री बनर्जी का अमेंडमेंट नम्बर ३५ सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सभापति जी, मद्रास के एक बहुत बड़े जज के बारे में कहा जाता है वह सो जाते थे । तो यह बात नहीं है कि जज लोग सोते नहीं हैं । इस लिये हो सकता है कि गवाही लेते समय अगर वह सो रहे हों तो कुछ हिस्सा वह सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे और अगर उनको केवल समरी बनानी है तो वे उसी हिस्से की समरी बनायेंगे जो कि उन्होंने सुना है जो कि पूरी नहीं होगी । अगर उनको सारी बातें लिखनी होंगी तो अच्छा रहेगा ।

फिर सरकार ने इस चीज को तो मान ही लिया है कि किसी आदमी को जो कि डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के मातहत सजा पाता है रिव्यू कराने का अधिकार है । ऐसी हालत में यह बहुत जरूरी है कि सजा पाने वाले को गवाही की पूरी नकल मिल जाये ।

इस प्रावीजन से गवर्नमेंट क्या चाहती है । उसका सिर्फ यह मंशा मालूम होता है कि जज को पूरी गवाही लिखने का परिश्रम न पड़े । इससे ज्यादा उसका मंशा नहीं मालूम होता । जब यही मंशा है तो सारी की सारी चीज लिखी जानी चाहिये ताकि उसकी पूरी नकल मिल सके । समरी नहीं लिखी जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कुं० कृ० वर्मा** (सुल्तानपुर) : जहां तक संशोधन संख्या १५४ पर उठाई गई आपत्ति का सम्बन्ध है वह ठीक नहीं है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस का अर्थ यह है कि यदि अभियुक्त को ५ वर्ष से कम की कैद दी जाती है, तो दूसरी प्रक्रिया लागू होगी । यदि यह पांच वर्ष या इस से अधिक है, तो कोई अस्पष्टता नहीं है । मेरे विचार में भाषा ठीक प्रयोग की है और इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक साक्ष्य को लिखित रूप में रिकार्ड करने का सम्बन्ध है, मैं इस से सहमत हूं और यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**श्री दातार** : संशोधन संख्या १५३ के अनुसार अवधि को १० वर्ष से कम कर के पांच वर्ष या इस से अधिक कर दिया गया है । यह स्पष्ट होना चाहिये कि कैद पांच वर्ष या इस से अधिक होगी । ऐसे शब्द रखने से क्षेत्र और भी बढ़ा दिया गया है । जहां तक खंड १५ का सम्बन्ध है ।

उन मुकदमों में जिन में मौत या ५ साल से अधिक कैद का दंड दिया जा सकता है, पूरा साक्ष्य रिकार्ड किया जायेगा । थोड़े से मामलों में यह आवश्यक नहीं होगा उनमें संक्षेपण प्रक्रिया के अनुसार साक्ष्य का केवल सार दिया जायेगा, जिस पर विशेष न्यायाधिकरण का एक सदस्य हस्ताक्षर करेगा । यह केवल आपात्कालीन उपबन्ध है और इस का प्रयोग । बहुत कम किया जायेगा इन परिस्थितियों में मैं नहीं समझ सका कि खंड १ और खंड ५ को रखने की मांग क्यों की गई । स्वयं दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे मामले जिन में अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है । इसी तरह अभियुक्त जानबूझ कर अनुपस्थित हो कर मुकदमें को रोक नहीं सकता । इस का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता । खंड १ और ५ आपात्काल को देखते हुये अत्यावश्यक हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: अब मैं संशोधन संख्या १५३ मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है :—

"संशोधनों की सूची संख्या ५ में छपे हुये संशोधन संख्या १२०, जिस संशोधन को मैं ने प्रस्तावित किया है, के स्थान पर निम्नलिखित संशोधन रखा जाय :—

पृष्ट १८, पंक्ति ४, " Imprisonment for life" [आजीवन कारावास] के स्थान पर "Imprsionment for life or imprisonment for tern which may extend to five years or more" [आजीवन कारावास या पांच वर्ष तक या इस से अधिक अवधि के लिये कारावास । (१५३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १४६ आग्राह्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७, ८२, १४७, ३६ और ८३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड १६ और १७ लेते है

प्रश्न यह है :

"कि खंड १६ और १७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६ और १७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १८—(विशेष न्यायाधिकरणों के दण्ड)

†**श्री दातार**: मैं संशोधन संख्या १२१ और १५४ के स्थान पर संशोधन संख्या १५६ प्रस्तुत करता हूं :

"कि संशोधन सूची संख्या ८ में छपे हुए संख्या १५४ के स्थान पर, जिस का मैंने प्रस्ताव किया था निम्न संशोधन रख दिया जाये :

पृष्ठ १९, पंक्ति १४ से १७ के स्थान पर निम्न रख दिया जाये—

"(b) to imprisonment for a term of five years or more,

under this Act or the rules made there-under or Sub-Section (4) of Section 5 of the Indian Official Secrets Act, 1923, as amended by Section 6 of this Act." ["(ख) पांच वर्ष या इस से अधिक अवधि के लिए कारावास,

इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अथवा भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, १९२३, इस अधिनियम की धारा ६ धारा संशोधित रूप में, की धारा ५ की उपधारा (४) के अन्तर्गत"]—(१५६)

†**श्री नम्बियार** : मैं अपने संशोधन संख्या ८६ और ८७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दाजी** : मैं अपना संशोधन संख्या ८८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपने संशोधन संख्या १४८ और १४९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सदन के सामने हैं ।

†**श्री नम्बियार** : मेरा संशोधन बिल्कुल सरल और स्पष्ट है । इसका उद्देश्य यह है कि सब मामलों में उच्चन्यायालय के पास अपील होनी चाहिये । मान लीजिये न्यायाधीश ४ वर्ष ११ महीनों की कैद का दंड देता है तो ऐसी हालत में कौन देखेगा कि दंड उचित है या नहीं । मैं जानना चाहूंगा कि पहले निर्णय का पुनरीक्षण कौन करेगा । मैं यह नहीं समझ सकता कि आपात-काल में अपील की व्यवस्था कैसे नहीं हो सकती ? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि चाहे कैद की सजा कितनी ही हो, अपील की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब इस खंड पर अग्रेतर चर्चा कल होगी । अगले विषय को लेने से पहल खंड १५ सम्बन्धी संशोधन संख्या ६ पर मत विभाजन होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ १८ में--

पंक्ति १ और २ को निकाल दिया जाये ।

सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में : ४१

विपक्ष में : ९०

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव उपस्थित करने से पहले वर्तमान कृषि मंत्री श्री एस० के० पाटिल की सूझबूझ और परिश्रमी स्वभाव की सराहना करना चाहता हूं । आज से कुछ समय पहले इस प्रकार की भयंकर स्थिति हमारे देश की खाद्य समस्या के बारे में बन चुकी थी कि संसद् के सभी सदस्यों को विवश हो कर प्रधान मंत्री जी को यह शब्द कहने पड़े थे कि इस महत्वपूर्ण विभाग को वह अपने हाथों में ले लें । लेकिन जब से श्री पाटिल ने अपने हाथ में यह विभाग लिया है जिस प्रकार से अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है मैं उसके लिए जहां उनकी सराहना करता हूं वहां साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण भाग जो इस मंत्रालय का है, उसके सम्बन्ध में भी आशा करता हूं कि वह उसी दूरदर्शिता और अपनी कुशाग्र वृद्धि का परिचय देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, चीनी उद्योग भारतवर्ष में दूसरे नम्बर का उद्योग है और इस समय कुल मिला कर १७० मिलियन चीनी मिलें भारत में हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : चीनी न कहिये, शक्कर कहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: चीनियों से डरने की आवश्यकता नहीं है । उनका हमें मुकाबला करना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : डरने की बात नहीं । इतनी मीठी चीज़ को चीनी मत कहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं यह कह रहा था कि १७० मिलियन इस समय भारत वर्ष में चीनी शक्कर बनती है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में गन्ने की उपज ४५ लाख एकड़ से बढ़ कर ५७ लाख एकड़ में हो गई है । १९६१-६२ में ६० लाख एकड़ में हिन्दुस्तान में गन्ना पैदा किया गया । लेकिन दुर्भाग्य से जो किसान गन्ना पैदा करता है, उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

आरम्भ से ही गन्ने के भाव समय समय पर इस देश में अदलते बदलते रहे हैं । सब से पहले १९३४ में शूगरकेन एक्ट इस देश में बना और उसके अधीन प्रान्तों को यह अधिकार दिया गया था कि वे जितने एरिया को चाहें कंट्रोल्ड एरिया घोषित कर दें और क्वालिटी देख कर कीमतें तय कर दें । उसके बाद भी और कई इसी प्रकार के हेरफेर गन्ने के भाव में किये जाते रहे । लेकिन किसान के हित में जो सब से पहले घोषणा हुई वह स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई की थी । उनके आधीन जिस समय यह विभाग था, उस समय उन्होंने किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए ही नहीं अपितु सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए और चीनी मिलमालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की कि मोटे तौर पर अगर इस प्रकार की व्यवस्था बना ली जाए कि जितने रुपये मन चीनी, उतने आने मन गन्ने का भाव, तो यह अच्छा रहेगा और जितनी चीनी गन्ने से पैदा होती है, उसको देखते हुए यह उचित भी है । उदाहरण के लिए अगर ४० रुपये मन चीनी है तो ढाई रुपये मन गन्ने की कीमत कर दी जाए, तो यह किसान के हित में और सरकार और चीनी मिलमालिकों के हित में भी ।

लेकिन अब जो नया एक फार्मूला तैयार होने जा रहा है और जिसके आधार पर बहुत कुछ दाम नियत भी कर दिये गये हैं, वह यह है कि गन्ने से जितना रस या मिठास निकलती है, यानी जितनी रिकवरी होती है, उस आधार पर भाव तय होंगे । इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए योजना बना ली गई है । मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा, इसको आप देखें । सारे पिछले सालों के सारे आंकड़े देना तो मेरे लिए जरा उस समय कठिन हो जाएगा लेकिन १९५९–६० में जो हमारे देश में गन्ने से रस या मिठास निकला उसमें मैसूर में १०.६० परसेंट की रिकवरी थी, महाराष्ट्र में ११.७५ परसेंट की रिकवरी थी, उत्तर प्रदेश में ९.६८ परसेंट थी और बिहार में ९.४३ परसेंट थी । सारे देश की कुल मिल कर ९.९१ थी । इस तरह से १० परसेंट के करीब वह बैठती थी । लेकिन टैरिफ कमिशन ने गन्ने के भाव के सम्बन्ध में जो फार्मूला दिया है, ९.८ का फार्मूला बना करके गन्न का भाव तय कर दिया गया है, उसमें और इस हिसाब से मूल्य भी निर्धारित किया गया है । इस हिसाब से शूगर मिल के दर्वाज़े पर एक रुपया दस आने मन गन्ने का भाव दिया जाएगा और अगर कहीं बाहर से गन्ना आए जैसे स्टेशनों पर किसान ला कर गन्ने को अगर दे तो उसको तीन आने कम यानी एक रुपया सात आने मन दिया जाएगा । जहां पर रिकवरी कम और जहां मिल के दरवाज़े पर एक इस हिसाब से एक रुपया आठ आने मन दिया जाएगा वहां और अगर बाहर कहीं गन्ना दिया जाएगा तो किसान को एक रुपया पांच आने का भाव ही मिलेगा । उस बारे में पहले तो सब से बड़ी बात यह है कि मैं नहीं समझ पाया कि आप की मिलों ने जो रिकवरी दिखाई है और जिस के आधार पर भाव तय किये गये हैं, उस के सम्बन्ध में सरकार ने यह कैसे सत्य मान लिया कि उन्होंने अपने आंकड़े सरकार को ठीक ठीक दिये है ? दूसरे दिन जो १ नवम्बर सन् ६२ का एक्स्ट्राआर्डिनरी गजट है इस में सारे देश की १७० मिलों के लिये भाव तय किये गये है कि कौन सी मिल गन्ने का मूल्य किस आधार पर देगी, उसे देख कर मैं हैरान रह गया कि तीन तीन मील के फासले पर गन्ने का भाव बदल गया । उदाहरण के लिये जब आप यहां से मेरठ जायेंगे तो रास्ते में एक दौराला शुगर मिल है, उस दौराला शुगर मिल का भाव तय किया गया है १ रु० ५१½ नये पैसे । उससे तीन मील आग चल कर सखोती टांडा शुगर मिल है, उस के लिये भाव तय किया गया १ रु० ५० नय पैसे । उस से थोड़ा और आगे चार मील के बाद खतौली शुगर मिल ह, उसके लिये भाव तय किया गया है १ रु० ५४½ नये पैसे । इसी प्रकार रुहाना शुगर मिल के

लिये भाव तय किया गया है १ रु० ५० नये पैसे । उसी की बगल में देवबन्द शुगर मिल है, उस के लिये भाव है १ रु० ५६ नये पैसे । मेरे निर्वाचन-क्षेत्र उस में भी तीन शुगर मिलें हैं । लेकिन मैं इस को पढ़ कर आश्चर्यचकित रह गया कि वहां पर दो शुगर मिलों के लिये उन्होंने सिवहारा में १ रु० ६२ नये पैसे का भाव तय किया है और उसी क्षेत्र में एक और मिल है बिजनौर शुगर मिल, उस के लिये १ रु० ५६ नये पैसे का भाव तय किया है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देते समय इस बात का थोड़ा स्पष्टीकरण करने की कृपा करें कि तीन तीन मील की दूरी पर जो मिल ह उस में रिकवरी किस प्रकार कम हो गई । आप सीधी सादी भाषा में इसे क्यों नहीं कहते कि या तो इन मिल मालिकों के यहां मशीनें इतनी खराब थीं कि वे ठीक रिकवरी नहीं बतला सकीं या फिर केमिस्ट और इंजीनिअर्स के, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उन के दिमाग इतने खराब थे कि वे अपनी पूरी रिपोर्ट नहीं दे सके ? लेकिन मशीन की खराबी या इंजीनिअरों के दोष का प्रभाव किसानों में जा कर पड़े और तीन तीन मील की दूरी पर भाव गन्ने के बदल जायें, मैं समझता हूं कि यदि आप जैसे दूरदर्शी खाद्य मंत्री के द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा तो देश इस को सन्तोष का विषय नहीं मानगा ।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि किसान जो गन्ना पैदा करता है उस में एक एकड़ पर उस का कितना व्यय बैठता है यह भी तो देखें, मैं कुछ अनुमानित आंकड़े यहां दे रहा हूं । जहां पर किसान एक एकड़ में गन्ना बोता है उस में ६० रु० जुताई पर खर्च होता है, एक एकड़ में ४० मन बीज बोया जाता है उस का करीब ६० रु० होता है, ईख की कम से कम खुदाई चार बार होती है जिस का ५० रु० के करीब खर्च बैठ जाता है, सिंचाई का खर्च ५० रु० एकड़ लगा लें, ३० रु० सरकार का लगान, फिर गन्ने की कटाई और मिल तक गन्ने को ले जाने का खर्च करीब ५० रु० हो जाता है । एक एकड़ में जो खाद पड़ेगी उस का खर्च करीब ४० रु० । इस के बाद जो अतिरिक्त व्यय होता है वह भी करीब ३० रु० आ जाता है । इस तरह से कुल मिला कर लगभग ३७० रु० एक एकड़ गन्ने की खेती पर किसान का व्यय होता है । थोड़ी देर के लिये अगर मान लिया जाय कि एक एकड़ में १० टन या २८० मन गन्ना उत्पन्न हुआ और उस २८० मन पर अगर आप उस को १ रु० १० आना मन दें तो एक किसान को अपनी एक एकड़ की उपज पर लगभग ४५५ रु० मिलता है जिस में से लगभग ३७० रु० उस का खर्च बैठ जाता है । इस तरह से किसान को पांच बीघे की फसल पर लगभग ८५ रु० लाभ बैठता है । इस में उस की व्यक्तिगत मेहनत भी आ जाती है । उस परिश्रम के बाद अगर उस का एक आध बैल मर जाय, जो कि आज की मंगाई के जमाने में ५०० रु० से कम का नहीं आता है, तो वह भी सम्मिलित है, उसके बच्चों के शादी व्याह का जो कार्यक्रम है, जिस को कि वह उसी समय के लिये रोके रहता है, वह भी सम्मिलित है, बड़े बड़े दवा दारू के खर्च, मुकदमे का खर्च, साहूकार से जो कर्जा लिया है, जिस के लिये सोचा करता था कि जब गन्ने का नकद दाम आयेगा तब वह दे देगा, वह भी आ जाता है । और फिर आज जो हमारे देश पर विपत्ति आई है उस के लिये वह गरीब उसी धन में से बचा कर वह राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये भी धन दे रहा है । इस तरह से आप उस बेचारे किसान की हालत का अनुमान तो लगाइये । आप मझ से पूछेंगे कि अगर किसान को कोई विशेष लाभ नहीं होता तो फिर वह गन्ने की खेती क्यों करता है ? इतने थोड़े लाभ में कौन बुद्धिमान आदमी है जो इतना परिश्रम कर के गन्ना बोये । पर भारतवर्ष में गन्ने की खेती करने के तीन चार मुख्य कारण हैं । सब से पहला कारण यह है कि किसान को और दूसरी फसलों से एक साथ नकद दाम उतना नहीं मिलता है जैसा किग न्ने से मिलता है । इस से जिस कार्यक्रम की मैं ने चर्चा की उस की पूर्ति वह गन्ने का नकद पैसा पा कर करता है । दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि गन्ने की खेती की जंगली जनवरों से सुरक्षा के लिये किसान को उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि दूसरे प्रकार की खेती के लिये । तीसरा कारण यह

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

है कि गन्ने का खेत प्राकृतिक कोप का उतना शिकार नहीं होता जितना दूसरे खेत उसके शिकार हो जाते हैं। अति वर्षा यह बर्फ आदि पड़ जाय तो उस से गन्ने के खेत को कोई विशेष हानि एकदम नहीं होती। इस के बाद जो सब से बड़ा कारण गन्ने की खेती करने का है वह यह कि एक बार गन्ना बोने से वह दो बार फसल दे सकता है जब कि दूसरे तरह के खेतों में यह बात नहीं है। इस लिये किसान गन्ने की खेती करना पसन्द करता है।

लेकिन सरकार की ओर से किसान के प्रति जो उदारता दिखलाई जानी चाहिये थी जिस से किसान को अपने काम का पूरा परिश्रमिक मिले, वह नहीं दिखलाई गई। मैं मोटी भाषा में यह कह सकता हूं कि अगर यह मान लिया जाय कि १०० मन गन्ने के ऊपर १० मन चीनी पैदा होती है और सरकार से चीनी का मार्केट रेट इस समय ३६ रु० मन बताया है, हालांकि वह ३६ रु० मन मिलती नहीं है, यहां दिल्ली में भी वह १ रु० २ आ० सेर बिकती है, फिर भी अगर वह रेट ३६ रु० ही मान लिया जाये, तो १० मन चीनी का मूल्य ३६० रु० हुआ। उस ३६० रु० में से १ रु० ५० न०पै० के हिसाब से, जो कि आप ने गन्ने की कम से कम कीमत इस समय मान रक्खी है, किसान के पास लगभग १५० रु० जाता है, बाकी २१० रु० जो रह जाता है उस में से सरकार और मिल मालिक आपस में साझेदार हो जाते हैं। अब आप थोड़ा ही बताइये कि क्या हिन्दुस्तान में और भी कोई इस प्रकार की इंडस्ट्री है जिस में जो मूल उत्पादन वाला व्यक्ति है उस के पास आमदनी का थोड़ा सा भाग आये और जो उद्योगपति या सरकार जैसी टैक्स लेने वाली मशीन है वह इतना अधिक भाग ले लें? सरकार उस में जो एक्साइज ड्यूटी ले लेती है उस एक्साइज ड्यूटी के बारे में मैं आप को बतलाऊं कि सन् १९३४ में गन्ने के ऊपर ९४ न०पै० उत्पादन-कर था और अब हमारे देश में सन् १९६२ में १० रु० ७० न० पै० उत्पादन टैक्स लगाया गया है। इतना टैक्स लगाये जाने के पश्चात् भी हमारे किसान को लाभ कितना मिलता है?

मैं इस से भी आगे बढ़ कर कहना चाहता हूं कि किसान के भाग्य की विडंबना तो देखिये कि जिस किसान के लिये सरकार दिन रात यह घोषणा करती है कि हम किसानों के हित में ही कानून बना रहे हैं यह किसानों की सरकार है और किसानों के हित में इस प्रकार का निर्णय लेगी, उस सरकार के शासन में जलाने वाली सूखी लकड़ी का भाव हिन्दुस्तान में ३ रु० ५० न० पै० मन है जब कि किसान के गन्ने का भाव १ रु० ५० न० पै० है या १ रु० ६२ न० पै० है। दूसरी बात यह है कि जो भी नई फसल किसान के घर में आती है, जैसे कि गन्ना, रुई, गेहूं आदि जिस समय वह सिकसान के घर में रहती है तब तक उस का मूल्य आधा रहता है, और जैसे ही किसान के घर से निकल कर बाजार में चली जाती है, व्यापारियों के हाथ में चली जाती है, उसी वक्त उस का दाम दुगुना हो जाता है। इस स्वतंत्र देश में इस प्रकार की गलत कानून और इस प्रकार की परम्परायें कब तक जनता सहन करेगी? इस लिये अभी मौका है इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर देना चाहिये।

इस के बाद जो रिकवरी के आधार पर गन्ने के दाम तय किये जा रहे हैं, अर्थात् गन्ने में कितनी मिठास बैठेगी, इस के आधार पर जो आप उसका मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं उस से होने वाली हानियों की भी कुछ चर्चा मैं यहां करना चाहता हूं। सब से पहली बात तो यह है कि सरकार ने जो यह घोषणा की है कि इस से किसान गन्ने की क्वालिटी को सुधारेगा, उस की नसल को सुधारने की कोशिश करेगा, उस के सम्बन्ध में क्या मैं अपने खाद्य मंत्री जी से यह निवेदन कर सकता हूं और वह अपना उत्तर देते समय इस का कोई सन्तोषजनक उत्तर दें कि मान लीजिये एक किसान ने गन्ने की फसल को सुधारने का काम मेहनत से किया, दूसरे किसान ने जिस तरह से वह पहले भी गन्ने की खेती करता था उसी तरह किया लेकिन मिल में आ कर राम सिंह और श्याम सिंह दोनों का गन्ना एक साथ पेरा गया फिर जब उस के बाद गन्ने की रिकवरी का पता लगाया जायेगा और उस का मूल्य तय किया जायेगा तो इस तरह से दोनों के साथ न्याय कैसे हो सकेगा? कि जिस किसान

वे गन्ने की नस्ल को सुधारने का काम किया उस को भी उतना ही दाम मिला और जिस ने नस्ल सुधारने का काम नहीं किया उस को भी उतना ही दाम मिला तो इस तरह नस्ल सुधारने वाले को क्या प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिला? जब सब धान २७ सेर होगा तो फिर किस प्रकार किसानों में एक दूसरे से होड़ लगा कर आगे बढ़ने की भावना पनप सकेगी ? मैं ने दूसरे देशों के सम्बन्ध में, जहां पर गन्ना अधिक होता है, जिन देशों में मेन इंडस्ट्री शुगर की है, जैसे कि इंडोनीशिया है, पता लगाने का यत्न किया। इंडोनीशिया में गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि जो भी मिलें होंगी वे किसानों के साथ फस्लों का कंट्रैक्ट कर लेंगी। ठेका करने के बाद जो वहां के गवर्नमेंट आफिसर्स होते हैं वे जाते हैं और समय समय पर उनकी फसलों की देख रेख करते रहते हैं। देख रेख के अतिरिक्त किसानों को आवश्यक सुझाव भी देते रहते हैं, खाद आदि की सुविधा देते हैं। फिर जब फसल तैयार हो कर आ जाती है तो शुगर मिल के मालिक एक किसान का गन्ना एक साथ पेर देते हैं। उससे उनको पता लग जाता है कि इस किसान की फसल में इतनी रिकवरी हुई और उसके आधार पर उसको मूल्य मिल जाता है। यहां तो सब का गन्ना एक साथ लिया जायेगा और उसके बाद रिकवरी लगायी जायेगी। तो मैं नहीं समझ पाया कि किसान के साथ किस प्रकार न्याय हो सकेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस गन्ने के मूल्य के मिलने तक किसान अपने बहुत से काम रोक कर रखता है। जहांतक रिकवरी का प्रश्न है, जब गन्ने की फसल प्रारम्भ होती है और जब समाप्त होने को होता है तो रिकवरी कम रहती है, बीच के महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में रिकवरी अच्छी होती है। यदि आप शुरु से अन्त तक की रिकवरी लगायेंगे तो किसान के साथ न्याय नहीं करेंगे। आपको यह भी बताना चाहिये कि किन महीनों की रिकवरी के आधार पर उसको मूल्य दिया जायेगा। मान लीजिये कि आपने मध्य के तीन महीनों के आधार पर रिकवरी निश्चित कर दी। तब भी एक बहुत बड़ी कठिनाई यह होगी कि उसको तीन महीने तक अपने गन्ने के मूल्य के लिये प्रतीक्षा करते रहनी पड़ेगी। क्योंकि जब तीन महीने की रिकवरी के आंकड़े आ जायेंगे तब उनके आधार पर मूल्य निश्चित किया जायेगा। तो इतने समय तक उसको अपने आवश्यक कार्यों को रोक कर रहना पड़ेगा। आप यह भी जानते हैं कि भारतवर्ष के किसान की आर्थिक अवस्था कैसी है। चाणक्य ने लिखा है कि स्वस्थ राजा की प्रजा की क्या पहचान होनी चाहिये। उसकी यह स्थिति होनी चाहिये कि

आपदर्थं धनम् रक्षेत्

अर्थात् उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिये कि आपातकाल के लिये उसके पास कुछ धन जरुर बचा रहे। लेकिन क्या हम अपने हृदय पर हाथ रख कर यह कह सकते हैं कि हमारे देश के किसान की आज यह स्थिति है कि वह आपातकाल के लिये कुछ धन सुरक्षित करके रख सके। हमारे किसान की अवस्था तो यह है कि वह रोज कुंवा खोदता है और रोज पानी पीता है। अगर उसकी रिकवरी के निर्धारित होने में इतना समय लगेगा तो उसको और भी भारी हानि बैठेगी।

तीसरी बात इसी सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे बताया गया है हिन्दुस्तान में कुछ ऐसी हलकी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति हैं जोकि गन्ना तोलने वालों को संकेत दे देते हैं कि गन्ना तोलने में सावधानी बरती जाय और उस का परिणाम यह होता है कि सारे सीजन में किसान का लाखों मन गन्ना मिल मालिक के पास बिना मूल्य दिये चला जाता है। यदि उस में कुछ भी सचाई है तो फिर जब रिकवरी के आधार पर मूल्य निश्चित किया जायगा तो किसान को जोकि अधिकतर अनपढ़ होते हैं, क्या पता चलेगा कि कितनी रिकवरी ठीक निकली या नहीं है। हो सकता है कि वे कम रिकवरी दिखावें। तो इस प्रकार भी किसान के साथ अन्याय होगा।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

एक और महत्वपूर्ण बात इस सम्बन्ध में यह है कि गन्ने का तो उस को एक मूल्य मिल जायगा लेकिन गन्ने के रस निकलने के बाद जो खोई निकलती है और जोकि मिल में ईंधन का काम देती है और कुछ मिलों में इस का कागज बनाने की भी योजना बनाई है, उस का मूल्य भी गन्ने के मूल्य में सम्मिलित होना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया जाता ।

अन्त में मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि दूसरे देशों में गन्ना पैदा करने वाले किसानों को किस प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं । इंडोनेशिया के बारे में मैं बता चुका हूं । मैक्सिको में किसान को करीब ५० प्रतिशत फैक्टरी के माल पर तथा बाई-प्रोड्क्टस पर ५० फी सदी दिया जाता है । फिलिपाइन्स में किसान को ५० से ६० प्रतिशत तक भाग दिया जाता है, मौरिशसमें किसान को उस की उपज का टैस्ट देख कर $^{2}/_{3}$ हिस्सा दिया जाता है ।

दूसरी बात यह कहनी है कि हमारे देश की स्थिति यह है कि पहली योजना के अन्दर गवर्नमेंट ने गन्ने के सैस से ३०.५७ करोड़ रुपया वसूल किया लेकिन केवल १० करोड़ गन्ने के विकास पर लगाया जिस में सिंचाई और सड़क विकास कार्य भी सम्मिलित है । दूसरी योजना में सरकार ने गन्ने के सैस से ४८.०७ करोड़ रुपया वसूल किया और खर्च किया केवल ११ करोड़ । और तीसरी योजना में गन्ने के सैस का अनुमान ६० करोड़ रुपया रखा गया है ।

कुल राजस्व गन्ना उपकर और गन्ना उत्पादन कर दूसरी प्लान में लगभग २५० करोड़ था, तीसरी प्लान में लगभग ३६० करोड़ रखी गई है । लेकिन तीसरी योजना में गन्ना और सड़क विकास में खर्च लगेगा केवल १०० करोड़ रुपये और दो अरब ६० करोड़ रुपये सरकार अपने खजाने के लिये सुरक्षित कर रही है । तीसरी योजना में जो गन्ना विकास के लिये १०० करोड़ रुपया रखा गया है उस में लगभग ७३ पर सेंट सिंचाई तथा विद्युत् व्यय भी शामिल है और इस में दूसरी खेती का उत्पादन भी शामिल होगा । हम देखते हैं कि दूसरे देशों की सरकारें अपने देश के किसानों को कितनी अधिक सुविधाएं दे रही हैं भारत की सरकार, जोकि किसान के हित का इतना जोर से नारा बराबर लगाती है, वह किसानों के हित का इस प्रकार अपहरण कर रही है, मैं समझता हूं कि यह महान दुख की बात है ।

इसलिये मेरा बड़ी नम्रता के साथ निवेदन है कि जो आप ने फारमूला तै किया है उस को अभी संकटकाल में स्थगित करे जैसे और भी अनेकों कार्यक्रम इस समय स्थगित किये जा रहे हैं । और इसके बाद जब आप इस पर निर्णय लें तो किसानों के प्रतिनिधियों को भी बुलायें और मिल मालिकों के प्रतिनिधियों को भी बुलाएं । प्रायः होता यह है कि मिल मालिक और सरकार के प्रतिनिधि बैठ कर निर्णय कर लेते हैं और किसान की उपेक्षा कर दी जाती है । ऐसा नहीं होना चाहिये । किसान इस उद्योग का सब से बड़ा भागीदार है और उस की इस प्रकार उपेक्षा होना अच्छी बात प्रतीत नहीं होती । मेरा विश्वास है कि वर्तमान कृषि मंत्री श्री पाटिल उदारता और गम्भीरता से इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं जो इस प्रकार है :—

"कि यह सभा चीनी के उत्पादन के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित करने पर विचार करती है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय, अर्थात् :—

> "और संकल्प करती है कि गन्ने की कीमत निर्धारित करने वाले सरकारी आदेश को उस समय तक के लिये रोक दिया जाये जबकि सरकार गन्ना उत्पादकों को, अच्छी किसम के गन्ने के उत्पादन के लिये बीज और उपकरण आदि देने की व्यवस्था करे" ।

उपाध्यक्ष महोदय, पाटिल साहब ने गन्ने का मूल्य दिसम्बर से मार्च तक की रिकवरी पर जो निर्धारित किया है उस के लिये मैं उन को धन्यवाद देना चाहता हूं । लेकिन इस के संबंध में मैं एक खास बात बतलाना चाहता हूं । मेरे अपने जिले में नौ शुगर फैक्टरियां हैं । इन नौ शुगर फैक्टरियों में से एक में किसान को एक रुपया आठ आना मिलेगा, एक फैक्टरी में एक रुपया सवा दस आना मिलेगा । हालत यह है कि एक ही जगह में कुछ मील के फासले पर मिले हैं । मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि सुगौली शुगर फैक्टरी में एक रुपया ५१ नये पैसे मिलेंगे, उस की बगल में बारह मील के फासले पर मोतिहारी शुगर मिल है उस में १ रुपया ६३ नया पैसा मिलेगा और उस के ६ मील के फासले पर मझवलिया शुगर मिल है जिसमें एक रुपया ६३ नये पैसे मिलेंगे ? तो आप देखें कि एक मिल में १ रुपया ५१ नया पैसा मिलेगा और उसी के बगल में ६ मील के फासले पर दूसरी शुगर मिल में १ रुपया और ६३ नया पैसा मिलेगा । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि किसान अपना गन्ना सुगौली मिल में नहीं ले जाना चाहेगा और मोतिहारी और मझवलिया मिलों में ले जाना चाहेगा । इस में फ्री एरिया वालों को फायदा होगा और रिजर्व एरिया वालों को घाटा होगा । इस साल पिछले साल से गन्ने की फसल ३५ पर सेंट कम हुई है । इसलिये हर मिल वाला यह चाहेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा गन्ना खरीद ले । नतीजा यह होगा कि जो फ्री एरिया वाले हैं वे अपना गन्ना सुगौली मिल को नहीं ले जायेंगे और मोतिहारी और मझवलिया मिलों को ले जायेंगे । और इस प्रकार जो रिजर्व एरिया वाले हैं उन को दो आने मन कम मिलेगा । रिजर्व एरिया वालों पर कानूनन पाबन्दी है इसलिये उन को नुकसान होगा । मेरा खयाल है कि किसान को कहीं दो आने मन, कहीं सात पैसे मन और कहीं एक आने मन कम मिलेगा, उस किसान को जोकि रिजर्व एरिया वाला है । यह कहां तक उचित है । आप ने जो अपने एक नवम्बर सन् १९६२ के नोटिफिकेशन के अनुसार मूल्य निर्धारित किया है उस से मेरे जिले की जो नौ मिलें हैं उन के द्वारा दिये जाने वाले मूल्य में फर्क रहेगा और इससे रिजर्व एरिया वाले किसानों को हानि पहुंचेगी । एक किसान को अपने गन्ने का मूल्य एक रुपया ५१ नये पैसे मिलेगा और दूसरे को एक रुपया ६३ नये पैसे । और इन मिलों में ६ मील का फासला है । तो इस में किसान का कैसे भला होगा । जो किसान रिजर्व एरिया का है उस को मन पीछे दो आना गन्ना का दाम कम मिलेगा । सरकार ने रिकवरी के आधार पर यह फैसला तो कर दिया लेकिन किसान को अभी तक कोई सुविधा नहीं दी है, न अच्छा बीज दिया है, न अच्छा खाद दिया है और न कोई और सुविधा दी है । इस प्रकार रिकवरी पर मूल्य निर्धारित कर के सरकार ने किसानों के साथ उचित बर्ताव नहीं किया है ।

इसके आगे मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां हरिनगर शुगर मिल में गन्ने का दाम १ रुपया ६६ पैसा प्रति मन मिलेगा, बगहा में १ रुपया ५७ पैसा मिलेगा और लौरिया में १ रुपया ५३ नया पैसा मिलेगा । नतीजा यह होगा कि जितना फ्री एरिया का किसान है वह हरिनगर में अपना गन्ना ले जायेगा । इस साल गन्ने की फसल कम हुई है । इसलिये बगहा और लौरिया को गन्ना नहीं

[श्री विभूति मिश्र]

मिलेगा और जहां तक रिजर्व एरिया के किसानों का संबंध है उन को प्रति मन दो ढाई आने का घाटा रहेगा। एक ही सरकार है एक ही किसान है, एक जगह उस को ज्यादा पैसा मिलता है दूसरी जगह कम पैसा मिलता है।

एक बात मैं बतलाना चाहता हूं कि रिकवरी के साथ साथ दो चीजों का ख़याल नहीं रक्खा गया है। एक तो प्रैसमड है और दूसरी छोआ है जिस को कि अंग्रेजी में मोलोसेज़ कहते हैं। मैं ने देखा है कि टायरका प्रैसमड १२ रुपये का मिलता है। अब इन चीजों की क़ीमत इस में नहीं जोड़ी गई है। रिकवरी के ऊपर दाम रखने में यह छोआ और प्रेसमड का दाम किसानों को नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस को भी देखे ताकि किसानों का भला हो।

आगे मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि किसानों को गन्ने का दाम यह जो रिकवरी के ऊपर देने का सिद्धान्त रक्खा गया है, दूसरे देशों में बड़े-बड़े फार्म्स हैं, सरकार ने पसन्द किया कि फ़लांने आदमी का गन्ना हम लेंगे और उस का गन्ना लेने के बाद वहां की सरकार ऋश करती है और उस की रिकवरी के ऊपर उस की क़ीमत ठीक करती है। लेकिन हमारे यहां छोटे छोटे किसान हैं और छोटे-छोटे किसान अपना गन्ना देते हैं। सब किसानों का गन्ना एक साथ पेरा जायगा। अब इस में जिस किसान का अच्छा क्वालिटी का गन्ना है और जिस किसान का खराब क्वालिटी का गन्ना है, सब गन्ना मिला कर एक साथ पेरा जायगा। नतीजा यह होगा कि एक साथ रिकवरी निकाली जायगी और एक साथ क़ीमत तय की जायगी। हमारे यहां कहावत है :—

"अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा"।

यह कहावत गन्ने के बारे में भी चरितार्थ हो रही है। अच्छे और ख़राब गन्ने को सब को इकट्ठा कर के एक साथ पेर दिया और ख़राब गन्ना पैदा करने वाले और अच्छा गन्ना पैदा करने वाले दोनों किसानों को एक ही दाम दिये जायें, यह कोई उचित बात नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि पाटिल साहब इस के ऊपर ध्यान दें और इस को कम से कम रोक दें।

हमारे यहां ९ शुगर फैक्टरीज़ हैं। अब यह रोज़गार हम लोगों का प्राण है। मेरे जिले में जहां पहले १०, १० मील तक पक्के मकान नहीं दिखाई देते थे, इन नौ शुगर फैक्टरीज़ के आने के परिणाम-स्वरूप आज पक्के मकान बने दिखाई पड़ते हैं। किसानों की हालत बदल गई है।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि बहुत से कारखाने ऐसे हैं जोकि पुराने ढंग के हैं। उन के यहां रिकवरी अच्छी नहीं निकलती है। बहुत से कारखाने ऐसे हैं जोकि नये ढंग के हैं और जिन के कि यहां रिकवरी अच्छी मिलती है। इसलिये सरकार को चाहिये कि जो कारखाने पुराने और खराब हैं उन को मौडरनाइज़ करे।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि कोई तो किसान २० मील से गन्ना लाता है, कोई किसान ५ मील से गन्ना लाता है। जो २० मील से गन्ना लाता है उस किसान का गन्ना सूख जाता है और उस में रिकवरी अच्छी नहीं आती है लेकिन वह किसान जो ५ मील से गन्ना ले आता है उसके गन्ने में अच्छी रिकवरी आती है। अब दोनों को एक साथ में मिला कर पेरा जाय और दोनों को एक कीमत दी जाय यह किसान के साथ गैर मुनासिब काम किया जाता है। हमारे पाटिल साहब ने यह सिद्धान्त रक्खा हुआ है लेकिन मैं उन से चाहूंगा कि कम से कम आज जो संकटकालीन अवस्था में इस को रोक दें। अगर वे इस को नहीं रोकते हैं तो मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जिस फैक्टरी में कम दाम मिलेगा वहां वह न से जा कर उस फैक्टरी में अपना गन्ना ले जायेंगे जहां कि उन्हें अच्छे दाम मिल सकता है। अब इस से आपस में किसानों में झगड़े पैदा हो जायेंगे और फौजदारी होगी। मिल

वाले उन के ऊपर मुकद्दमा करेंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार और पाटिल साहब जोकि किसानों के बड़े शुभचिंतक हैं, इस प्राइस फ़िक्स करने के आर्डर को अभी स्थगित करें ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । इस सदन में पिछले कितनी बार गन्ने के दाम के निर्धारण के बारे में बहस हुई है । ख़ाली बहस ही नहीं हुई है अपितु उत्तर प्रदेश में और दूसरे सूबों में कई बार आन्दोलन हुए । पिछली दफ़ा मेरठ, गोरखपुर और देवरिया में तमाम गन्ने के इलाकों में किसानों की बहुत बड़ी तादाद जेल में गयी और बराबर इस बात के लिये लड़ाई होती रही कि गन्ने का दाम दो रुपये मन किया जाय । हमारी उत्तर प्रदेश की असेम्बली ने और बिहार की असेम्बली ने प्रस्ताव भी पास किये । इसके अलावा पिछली दफ़ा जब इस ऐक्ट के ऊपर बहस हुई तो सरकारी पक्ष के लोगों ने और विरोधी पक्ष के लोगों ने, सब ने इस बात को खाद्य मंत्री महोदय से निवेदन किया कि गन्ने का दाम तय करने से पहले तमाम लोगों को बुलाया जाय और रिकवरी के आधार पर गन्ने का दाम तय न किया जाय । लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि खाद्य मंत्री क्यों इसके ऊपर अड़े हैं ? लगातार बात करने के बाद भी उन्होंने अपनी मनमानी की और नतीजा यह हुआ कि आज किसानों के गन्ने के दाम रिकवरी के आधार पर तय कर दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि हमने अपने देश में समाजवादी समाज की स्थापना का जो लक्ष्य निर्धारित किया है और हम यह ऐलान करते हैं कि हम देश में से अमीर और ग़रीब का भेद समाप्त करेंगे, वह सरकार की गन्ने की मौजूदा रिकवरी की पालिसी से पूरा नहीं होने वाला है ।

आज किसानों की एक मात्र मनी क्रौप गन्ना है और गन्ने की खेती के अलावा दूसरी कोई पैदावार नहीं है जिससे कि किसान अपनी मालगुजारी और लगान अदा कर सकें । सिर्फ गन्ना ही है जिसको कि बेच कर वह मालगुजारी और लगान वगैरह अदा कर सकता है । आज किसान के गन्ने के दाम घटाने के नाना प्रकार के कुचक्र बराबर रचे जा रहे हैं जिसके कि फलस्वरूप यह फल हमको देखने को मिलता है । मेरा यह ख़याल है कि माननीय मंत्री महोदय को किसानों की तरफ़ मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे देश की रीढ़ किसान ही हैं और अगर किसानों की आमदनी गिरती है अगर उनके पास खरीदने की शक्ति कम होती है तो लाजिमी तौर पर इसका बुरा प्रभाव सारे देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा । इसलिए ज़िद से काम न लेकर दरअसल सरकार को गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे किसानों को नुकसान न हो और उनको उनकी काश्त के वाजिब दाम मिलें ।

पिछली दफ़े टैरिफ़ कमिशन की रिपोर्ट की बात कही गयी । टैरिफ़ कमिशन जब बिठाया गया तो उस रेफ्रेंस में यह नहीं दिया गया कि गन्ने का उत्पादन मूल्य क्या है । गन्ना उत्पादन करने में ख़र्चा कितना पड़ता है इसका टैरिफ़ कमिशन की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है । खुद टैरिफ़ कमिशन की रिपोर्ट के तीसरे पन्ने में कहा गया है :—

> "न ही हमें उत्पादन लागत के आधार पर गन्ने का उचित मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है ।"

उनको यह भी नहीं कहा गया कि वह इस चीज़ का पता करते कि दरअसल गन्ने की पैदावार पर ख़र्च कितना पड़ता है । इसलिए मेरा यह ख़याल है कि मंत्री महोदय इसको फिर से टैरिफ़ कमिशन के सुपुर्द करें और वह इस बात को देखें कि गन्ने की पैदावार का खर्चा क्या पड़ता है और तब भाव के बारे में तय करें । अगर ऐसी बात नहीं होती है तो लाज़िमी तौर पर रिकवरी के आधार पर जो गन्ने का दाम तय किया गया है उससे हमारे देश के किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है ।

जैसा कि हमारे साथी श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने आपको बताया गन्ने की पैदावार करने में कितना ख़र्च पड़ता है, पहले से ज्यादा बलों के दाम, सिंचाई मंहगी, खाद मंहगी और लेबर मंहगी है जिसका

[श्री सरजू पाण्डेय]

कि नतीजा यह है कि लाज़िमी तौर पर किसानों का पहले गन्ना पैदा करने में जितना ख़र्च होता था अब उस के मुकाबले उनको ज्यादा ख़र्च करना पड़ रहा है। किसानों की जो हालत हो रही है अगर उनके गन्ने के दाम इस तरीके से गिरते जायेंगे तो उनकी परेशानियां और बढ़ेंगी।

सब से आश्चर्य की बात यह है कि मंत्री महोदय ने पिछली दफ़ा भी अपनी स्पीच में कहा कि हम किसानों के हित में यह रिकवरी वाली पालिसी बना रहे हैं। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं और जैसाकि एक भाई ने बतलाया कि एक किसान अच्छा गन्ना पैदा करता है और दूसरा किसान ख़राब गन्ना पैदा करता है उन दोनों को एक साथ पेरा जायेगा और दोनों को मिला कर प्राइस फ़िक्स की जाएगी और इसमें सब से कमाल की बात यह है कि रिकवरी जो होगी वह पिछले साल के पांच, छै महीने के आधार पर दी जायेगी, इस साल की यील्ड के ऊपर नहीं दी जायेगी। इस साल चाहे कितना अच्छा गन्ना पैदा हो लेकिन गन्ने के दाम पिछले ५, ६ महीने में जो रिकवरी है उसके आधार पर तय किये जाने हैं। मैं समझता हूं कि यह बड़ा अन्यायपूर्ण मामला है और इसको सरकार को किसानों का हित ध्यान में रखते हुए तय करना चाहिए। यह मोटी बात है और जैसा कि अभी शास्त्री जी ने भी कहा कि यह एक आम बात होती है। किसान भी इस बात को जानते हैं कि जितने आने मन गन्ना होगा उतने ही रुपये मन चीनी होगी। । अगर चीनी का दाम ३७ रुपये या ४० रुपये मन हो तो गन्ने के दाम ढाई रुपये मन होना चाहिए और अगर ढाई रुपये मन न हो तो कम से कम दो रुपये मन तो होना ही चाहिए। अगर गन्ने का दाम २ रुपये मन हो तब भी मिल वालों को मुनाफ़ा रहता है।

अब यह रिकवरी के आधार पर जो गन्ने के दाम तय किये जाते हैं तो रिकवरी शुरू के महीनों में कम होती है। नवम्बर में कम होगी, दिसम्बर में भी कम होगी। जनवरी में कुछ होगी, फरवरी में होगी और फिर मार्च के दूसरे पखवाड़े और अप्रैल में गिर जायेगी। महीने, दो महीने में कितना गन्ना दे पायेंगे ? इससे किसानों को इतना दाम भी नहीं मिल सकेगा जितना कि वह पैदा करते हैं। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि गन्ने का दाम जब हम तय करते हैं तो इन सारी चीजों को देखें कि दरअसल गन्ने का दाम तय करते समय हम सारी चीजों का हिसाब लगायें।

आज चूंकि मुल्क संकटकालीन स्थिति से गुज़र रहा है इसलिये यह और भी ज़रूरी हो जाता है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री विभूति मिश्र के अमेंडमेंट में कहा गया है सरकार शुगरकेन की प्राइस फ़िक्स करने का आर्डर फिलहाल उस वक्त तक स्थगित रक्खा जाय जब तक कि सरकार गन्ने के काश्तकारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर देती। जब तक उनको आवश्यक सुविधायें नहीं देती है तब तक यह रिकवरी के आधार पर गन्ने की कीमत तय न की जाय।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस संकटकालीन स्थिति में वह ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें, जिसमें हमारे देश के किसानों को—विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को, जहां कि भयानक ग़रीबी है—परेशानी उठानी पड़े। इस सदन में ही एक माननीय सदस्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की दशा का चित्र उपस्थित किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया, ये तमाम ज़िले ऐसे हैं, जहां बहुत ग़रीबी है और उस ग़रीबी में गन्ना ही एक सहारा है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को तब तक के लिये स्थगित कर दें, जब तक कि फिर से टैरिफ़ कमिशन को न बिठाया जाये और सब वर्गों के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करके और इस बारे में पूरे तरह से जांच करके गन्ने का उत्पादन मल्य निर्धारित न कर दिया जाये।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** (परभणी) : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात में किसान नकदी की फसलों को उगा कर भी उतना मुनाफ़ा कमा सकता है जितना कि गन्ना उगा कर । किन्तु महाराष्ट्र में कृषि प्रणाली ऐसी है कि यदि किसान गन्ने की खेती छोड़ कर किसी अन्य नकदी की फसल की खेती करना शुरू कर दे, तो इससे किसानों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । अतः गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न महाराष्ट्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ।

गन्ने के मूल्य को चीनी के प्रतिशत के साथ ऐसे ढंग से सम्बद्ध किया गया है जिसकी व्याख्या सामान्य ढंग से नहीं की जा सकती ।

सरकार ने जब लागत को कम न किये जाने वाले न्यूनतम १.६२ रुपये के साथ सम्बद्ध करने की योजना प्रकाशित की, तो उत्पादन तत्काल २९ लाख टन से कम हो कर २६.६ लाख टन हो गया । सरकार को इससे सबक लेना चाहिये ।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसानों को गन्ने से लाभप्रद दाम मिलें । कम से कम उसे अपना घाटा तो पूरा करने को मिल जाये । गन्ने से निकलने वाली चीनी से होने वाले लाभों को बांटने सम्बन्धी सूत्र ऐसे सन्तोषजनक ढंग से नहीं बनाये गये है कि जिससे किसानों को लाभ हो ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस इलाके से आता हूं, जो हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गन्ना पैदा करता है । माननीय खाद्य मंत्री अभी तक हमारी दिक्कतों को समझ नहीं सके हैं । हमारी सब से पहली दिक्कत यह है कि जब हम दस-दस मील, बीस-बीस मील के फ़ासले पर अपना गन्ना लेकर आते हैं, तो बजाय इसके कि हमको इनाम मिले, गवर्नमेंट, सोसाइटी और ठेकेदार हमसे दो आने, चार आने मन काट लेते हैं । सब से पहले तो हमारी यह दिक्कत हल की जानी चाहिए--किराया मिल मालिक दें, हमको किराया न देना पड़े ।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि रीकवरी के ऊपर गन्ने की कीमत ली जायगी । क्या मिल मालिक हमको रीकवरी के सही दाम दे सकता है ? इसी सदन में यह बात मान ली गई थी कि हिन्दुस्तान का पूंजीपति सरकार को दिये जाने वाले टैक्सों में २५० करोड़ रुपये ईवेड करता है । जो आदमी गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक कर इतनी बड़ी रकम चुरा लेता है और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है और आज तक गवर्नमेंट जिससे किसी भी हालत में वह टैक्स वसूल नहीं कर सकी है, क्या वह अनपढ़ काश्तकार से यह उम्मीद करती है कि वह उस मिल-मालिक से रिकवरी के पूरे दाम ले लेगा और मिल-मालिक उस को रीकवरी के पूरे दाम दे देगा ?

इस लिए "रीकवरी" लफ्ज को हटा कर गन्ने की कीमत दो रुपये मन कर दी जाये । प्राइस को रीकवरी के साथ लिंक करने का मतलब तो यह है कि हमको मिल-मालिक के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है और हमें मिल-मालिक की मर्जी पर ज़िन्दा रहना होगा । इसलिए गन्ने की कीमत कम से कम दो रुपये मन होनी चाहिए ।

जब मैं यू० पी० एसेम्बली में था, तो वहां मैंने कोशिश की थी और वहां से १ रुपये १२ आने मन का भाव तय करवा कर भेजा था । उसको वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट ने भेजा था और उस पर गवर्नमेंट के दस्तख़त थे । जब यह मामला यहां पर सरकार के हजूर में आया,तो हमारी उस मांग को ठुकरा दिया गया और १ रुपये १२ आने मन के बजाये १ रुपये ७ आने मन का दाम तय किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशपाल सिंह]

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों की दिक्कत को समझा जाए। जब हम लोग दिन-रात मेहनत कर के गन्ना पैदा करते हैं, तो हमको उसका पूरा मूल्य मिलना चाहिए। अगर माननीय खाद्य मंत्री चाहें, तो वे इस मसले को दो दिन में हल कर सकते हैं। पिछले दिनों जब इस सदन में डिफेंस पर बहस चल रही थी, तो मैंने कहा था कि खाद्य मंत्री ने यह साबित कर दिया है कि उनके दिलो-दिमाग़ का दूसरा आदमी हिन्दुस्तान में नहीं है और अपनी प्रतिभा और बेमिसाल बहादुरी से उन्होंने खाद्य के उस मसले को हल कर दिया है, जिसके बारे में यह समझा जाता था कि वह हल नहीं हो सकता है। पिछले हफ्ते मैंने यह भी कहा था कि अगर श्री एस० के० पाटिल के हाथ में इस देश का डिफेंस होता और वह हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते, तो हमको यह बुरा दिन न देखना पड़ता। जब इतने बड़े बड़े मसले हल किये हैं तो गन्ने का यह छोटा सा मसला कैसे हल नहीं हो सकता है। किसान आज दुखी है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप किसान के बन्धु हैं, आप किसान के हमदर्द हैं, किसान के खैरख्वाह हैं दूसरी तरफ आप किसान को उसके गन्ने का उचित भाव नहीं देते हैं। किसान दिन रात खून पसीना एक करके गन्ना पैदा करता है, पैदावार करता है उसको तो उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है मगर दूसरी ओर जो मिल मालिक हैं वे करोड़पति होते जाते हैं, अरबों रुपया वे कमा चुके हैं और अमीर होते जा रहे हैं। मिल मालिक को जो शूगरकेन से फायदा होता है, जो लाभ मिल मालिक शूगरकेन पर लेता है, उसमें किसान का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए और यह हिस्सा उनको मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ८० फीसदी किसान है और बीस फीसदी मिल मालिक और उसके रिश्तेदार। इसलिए प्राफिट का जो रुपया है उसका ८० परसेंट किसान को मिलना चाहिये और बीस परसेंट मिल मालिक के घर में जाना चाहिये। लेकिन यहां उलटा हिसाब होता है। मैं भी गन्ने की काश्त करने वाला एक छोटा सा काश्तकार हूं। न मुझे सरकार की तरफ से बीज मिलता है, न खाद मिलती है, न पानी का इंतजाम किया जाता है। गन्ने को ढोने में मुझे रात-रात भर बर्फ में चलना पड़ता है, अपने बैलों की गाड़ी को जिस पर गन्ना लाद कर मैं ले जाता हूं, वहां पहुंच कर ४८–४८ घंटे तक खड़े रखना पड़ता है, तब जा कर कहीं नम्बर आता है। मेरे बैल, मेरे मवेशी, मेरे नौकर तबाह होते है, कुछ बर्फ पर होते है और कुछ तब जब उनको ४८–४८ घंटे खड़े रहना पड़ता है। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसा किसी देश में नहीं होता है। जिन को गन्ना देना होता है वे बर्फ पर ठिठुरते रहते हैं और बहुत देर तक उनको इंतजार करना पड़ता है। ऐसा न हो, इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर खाद्य मंत्री चाहें तो एक दम इस सब का इलाज कर सकते है। लेकिन हमारी तरफ उनकी हमदर्दी कम है और मिल मालिकों की तरफ ज्यादा है, ऐसा मालूम देता है। हम गरीब हैं, मिल मालिक करोड़पति है। हमारी हालत यह है कि हमारे पास पैसा नहीं होता है कि हम अपने बैलों को दाना दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं होता है कि अपने लड़कों की फीस अदा कर सकें, उनकी किताबों का खर्चा जुटा सकें और उनको हमें वापिस बुलाना पड़ता है, लेकिन मिल मालिकों का यह हाल है कि एक मिल के मुनाफे से वे चार-चार मिलें खड़ी करते जा रहे है लेकिन सरकार का उधर कोई ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा निवेदन है कि अगर वाकई में आप मजदूरों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, किसानों के प्रति हमदर्दी रखते है तो किसानों की इमदाद बढ़नी चाहिये, किसानों की हालत बहतर करने की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिये। जो मिल मालिक है, वे इतना रुपया इन मिलों से कमा चुके हैं कि उनको और ज्यादा मुनाफे की इस वक्त जरूरत ही नहीं है।

जो मुनाफा है वह किसानों को जाना चाहिये और अगर किसानों को नहीं दिया जाता है तो हिन्दुस्तान के फायदे के लिए उसका इस्तमाल होना चाहिये, हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिये । अकेले मिल मालिकों को इस रुपये का हिस्सेदार नहीं बने रहने दिया जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम मिल मालिकों को गन्ना देते है लेकिन उन मिलों में हम किसानों का एक लड़का भी नौकर नहीं रखा जाता है । मैं इकबालपुर में, लक्सर में गन्ना देता हूं, और वहां की हालत यह है कि कोई किसान का बेटा न तो वहां क्लर्क लगा हुआ है और न ही इंजीनियर लगा हुआ है और न ही ओवरसियर लगा हुआ है और न ही एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रखा गया है । जमीन हमारी इस्तेमाल होती है, गन्ना हम देते है लेकिन इसका मुनाफा हम को न मिल कर दूसरे ही उठा ले जाते है। इसलिए यह जरूरी है कि गन्ने की कीमत आज बढ़ाई जाए और कम से कम उसकी कीमत दो रुपये मन कर दी जाए । रफी अहमद किदवई जी के समय में जब २८ रुपये मन चीनी बिकती थी तब लोगों को दो रुपये मन का भाव दिया जाता था लेकिन आज जब ३८ और ४० रुपय मन चीनी बिकती है तो कोई वजह नजर नहीं आती है कि क्यों हम को दो रुपये का भाव न दिया जाए। जहां तक गन्ने की सप्लाई का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि कानून बनाया जाए कि खेत से गन्ना लिया जाए, वहां से इसकी सप्लाई ली जाए, जहां मेरा गन्ना खड़ा है, वहां से मिल मालिक या सरकार उठाने का इंतजाम करें, वहां से गन्ना लावें । बैलों की आज हालत यह है कि वे मिल नहीं रहे हैं, न परबतसर गंडी में मिल रहे है और न पुश्कर मंडी में मिल रहे है । ट्रैक्टरों की हालत यह है कि जिन्होंने ट्रैक्टर लिए थे वे उनको बेच कर दिवाला निकाल कर चले गए है ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक गन्ने की सप्लाई का सम्बन्ध है, हमारे खेतों में से गन्ना मिल मालिकों को दिया जाए और हम को कम से कम दो रुपये मन का भाव दिया जाए ।

†**श्री दे० द० पुरी** (कैथल) : समय थोड़ा होने के कारण मैं इस विषय को नहीं लूंगा कि गन्ने का मूल्य क्या होना चाहिये बल्कि इसी बात पर चर्चा करूंगा कि कम गन्ने से उत्पन्न चीनी के आधार पर उसका मूल्य चुकाना चाहिये ।

कृषि की अन्य सभी वस्तुओं का मूल्य उसकी किस्म के आधार पर दिया जाता है । यह योजना बिल्कुल ठीक है जिसमें कृषकों को प्रोत्साहन भी दिया जाना है ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

इस योजना के अन्तर्गत हर कारखाने में गन्न से चीनी के उत्पादन का हिसाब लगाया जायगा और फिर उसके अनुसार मूल्य चुकाया जायगा और फिर कम से कम मूल्य १.५० रुपये निर्धारित कर दिया गया है ।

आज अच्छी किस्म और बुरी किस्म दोनों प्रकार के गन्ने की कीमत समान है । यह कदापि वांछनीय नहीं । कीमत चाहे कुछ भी निर्धारित हो यदि उसका आधार चीनी की उत्पादन मात्रा नहीं तो वह मनमानी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दे० द० पुरी]

भारत में गन्ना उत्पादकों को मिलने वाली कीमत का प्रतिशत इंडोनेशिया, मेक्सीको अथवा कम्यूनिस्ट गुट के बाहर किसी भी देश में मिलने वाली कीमत के प्रतिशत से अधिक है । यदि गन्ने से उत्पादित चीनी की मात्रा को दृष्टि में रखा जाय तो भारत में दी जाने वाली गन्ने की कीमत सब से अधिक है ।

मैं सरकार और खाद्य मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वैज्ञानिक पद्धति को रायज किया ह ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : सभापति महोदय, १ नवम्बर के गजट को देख कर मुझे दो प्रकार के आश्चर्य हुए । पहले तो यह कि जहां से हमारे खाद्य और कृषि मंत्री आते हैं वहां गन्ने का दाम १ रु० ८६ न० पै० से ले कर २ रु० १३ न० पै० तक है और जहां से हमारे कृषि मंत्री आते है, अर्थात् बिहार, वहां १ रु० ५० न० पै० से लेकर १ रु० ६९ न० पै० तक है । इसी तरह से गुजरात में १ रु० ७८ न० पै० से १ रु० ९२ न० पै० तक, आंध्र में १ रु० ५७ न० पै० से १ रु० ९२ न० पै० तक, मद्रास में १ रु० ५० न० पै० से १ रु० ८१ न० पै० तक, यू० पी० में १ रु० ५० न० पै० से १ रु० ६५ न० पै० तक और पंजाब में १ रु० ५० न० पै० तक है । मेरी समझ में नहीं आता है कि बिहार के किसान ने और यू० पी० के किसान ने क्या गलती की है कि उस को पैसे कम मिलते हैं और महाराष्ट्र के किसान को पैसे ज्यादा मिलते हैं ।

इस के साथ जो दूसरा आश्चर्य होता है वह यह कि एक मिल से दूसरी मिल की दूरी सिर्फ तीन मिल की है । मैं बस्ती जिले में डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चर आफिसर रह चुका हूं । वाल्टरगंज और बस्ती में सिर्फ तीन मील का अन्तर है । वहां पर दो मिलों में गन्ने का भाव १ रु० ६३ न० पै० है वाल्टरगंज में और बस्ती में १ रु० ७५ न० पै० है । वाल्टरगंज और बस्ती में १२ न० पै० का फर्क है । आप इस चीज को सोचें कि वाल्टरगंज और बस्ती में ऐसे किसान भी होंगे जो कि एक एरिया से दूसरी एरिया में इधर उधर गन्ना ले जाते होंगे । इस के माने यह होते है कि चीनी बनाने में, मिल के एक्स्ट्रैक्शन में कोई फर्क है, इस में किसान का कोई दोष नहीं हो सकता । एक जमीन पर गन्ना बोने का एक किसान को १ रु० ६३ न० पै० मिले और दूसरे किसान को १ रु० ७५ न० पै० मिले तो मिल की मशीनरी में कोई फर्क है । ऐसा करने के लिये यह मंत्रालय मजबूर कर रहा है । इसी तरह से अगर आप देखें तो जितनी भी फैक्ट्रीज शुगर की हिन्दुस्तान में है उन की रिकवरी की परसेन्टज में भी फर्क है । आंध्र प्रदेश में ९.८५ परसेन्ट शुगर निकलती है, बिहार में ९..४३ परसेन्ट निकलती है, महाराष्ट्र में ११.७५ परसेन्ट शुगर निकलती है । मद्रास में ९.२० परसेन्ट, पंजाब में १.१४ परसेन्ट और यू० पी० में ९.६८ परसेन्ट निकलती है ।

इस के साथ-साथ मैं आप को दूसरे देशों की मिलों के बारे में बतलाता हूं, साउथ अफ्रीका में शुगर का एक्स्ट्रेक्शन ११.३३ परसेन्ट होता है, क्वीन्सलैंड में १३.८१ परसेन्ट, पोर्टिको में १०.७१ परसेन्ट होता है और फिलिपीन में ११.९५ परसेन्ट होता है ।

अगर मिलों की खराबी की वजह से किसान मारा जाय तो यह अनुचित होगा कि इस तरह की चीज एक्स्ट्रैक्शन के ऊपर लागू की जाय । अगर आप इस को एक्स्ट्रैक्शन पर ही लागू कर देते हैं तो आप यह बतला दीजिये कि यह कहां तक न्यायसंगत है । अगर मैं अच्छी तरह खेती करता हूं और अच्छे किस्म के गन्ने की खेती करता हूं और अच्छी वैराइटी पैदा करता हूं तो मैं भी १ रु० ६२ न० पै० पाऊं और मेरे ही क्षेत्र में एक किसान जो है वह देसी

गन्ना बोता है और पुराने ढंग से बोता है तो वह भी उतना ही पाये तो इस देश में इम्प्रूव्ड एग्रिकल्चर कैसे हो सकता है, कहां तक मैं अपनी खेती को बढ़ा सकता हूं ? सरकार के पास या मिल के पास कौन सी ऐसी मशीनरी है जो कि हर लाट और हर बैलगाड़ी की टैस्टिंग कर सके कि इस में इतना सक्रोज का परसेन्टेज है और इस में इतना परसेन्टेज है ? सीजन से बाहर जब गन्ना पेरा जायगा, जिसमें कि सक्रोज परसेन्टेज कम होता है तो उस नुक्सान को कौन सहेगा ? सरकार या मिल वाले ? फिर वैराइटी के ऊपर भी गन्ने के सक्रोज के परसेन्टेज में कमी या ज्यादती होती रहती है । दो वेराइटी होती है । सी० ओ० ४१९ की जो वेराइटी है उस में बिहार में ९.१२ परसेन्ट शुगर निकलती है, आंध्र प्रदेश में १०.१९ परसेन्ट, महाराष्ट्र में १२.४२ परसेन्ट, मैसूर में १२.१४ परसेन्ट, मद्रास में, ८.२५ परसेन्ट शुगर निकलती है । इसी तरह से दूसरी वेराइटी सी० ओ० ४४९ में आंध्र में ९.५७ परसेन्ट, मैसूर में ८.९७ परसेन्ट और मद्रास में ९.२ परसेन्ट निकलती है । इसी तरह से प्रदेश प्रदेश में गन्ने की वेराइटी में भी फर्क है । जैसा हमारे मंत्रालय ने दिया है कि जिस को ९.८ परसेन्ट रिकवरी होगी उस को १ रु० ६२ न० पै० मिलेगा । जब रिकवरी १ परसेन्ट बढ़ेगी या घटेगी तो उस के हिसाब से १½ न० पै० बढ़ेगा या घटेगा । लेकिन जहां पर गन्ना दूर के सेन्टर को सप्लाई होगा वहां पर १ रू० ३८ न० पै० दाम होगा । इसमें कौन सी मशीनरी हर किसान के हर लाट को टेस्टिंग करेगी कि किस के शुगर केन से कितना परसेन्ट शुगर निकलती है ।

मेरे पास "इंडियन शुगर इंडस्ट्री" की अनालिसिस है । उस में लिखा हुआ है कि एक मन चीनी बनाने में १ रु० ६२ नये पैसे के हिसाब से किसान को गन्ने का दाम १६.२० रु० मिलता है । को-आपरेटिव्ज उस में से ४६ न० पै० ले लेती है, सरकार का टैक्स १०.६९ रु० है, गन्ने का सेप १.९४ रु० होता है, मैनुफैक्चरिंग चार्जेज ५.६३ रु० और प्राफिट ४.परसेंट, इस तरह से कुल मिला कर ३७ रु० ८५ न० पै० प्रतिमन गन्ने का दाम किया गया है । अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाय तो किसान को सिर्फ ४३ परसेंट मिलता है बाकी ५७ परसेंट मिल मालिक और सरकार ले लेते है । जब कि इंडोनेशिया में ५५ परसेंट, क्यूबा में ५५ से ६० परसेंट, मैक्सिको में ५० परसेंट और बाई प्रोडक्टस का दाम, फिलिपाइन्स में ५५ से ६० परसेंट और मारीशस में ६६ परसेंट किसानों को दिया जाता है ।

अगर एक किसान ने एक एकड़ गन्ना बोया और उस में ४०० मन गन्ना पैदा हुआ, तो इस प्रकार किसान को ६४८ मिलेगा, कोआपरेटिव १८–४० ले लेगी, गवर्नमेंट ५०५ ले लेगी और मिल ३४६ रुपये ले लेगी । तो इस प्रकार एक एकड़ के गन्ने पर सरकार ५०० रुपये ले रही है । यह करीब ३३ परसेंट के होता है । मैं नहीं समझता कि किसी और इंडस्ट्री के कच्चे माल पर सरकार इतना टैक्स लेती हो । अगर किसान की मेहनत, उसकी जुताई गुड़ाई आदि का खर्चा निकाल दिया जाये तो मेरी समझ में नहीं आता कि किसान के पास क्या बचेगा ।

कहा जाता है कि मिल वाले ४ परसेंट मुनाफा लेते हैं। कहने को तो यह मुनाफा ४ परसेंट है लेकिन वास्तव में मिल वालों को १८.८ परसेंट का मुनाफा पड़ जाता है । इसके अलावा भी मुनाफा होता है। दस परसेंट चीनी के अलावा चार पांच परसेंट मोलासेज निकलता है जिससे पावर एलकोहल एलकोहल, रेक्टीफाइड स्प्रिट, कंट्री स्प्रिट और दूसरे पदार्थ बनते हैं जो दवाओं में काम में आते हैं । तो इससे उनको फायदा होता है । इसके अलावा जो खोई होती है उसको पेपर बनाने के काम में लिया जाता है और उसका पैसा भी मिल मालिक को बच जाता है । अगर इस सब को जोड़ा जाये तो आप देखेंगे कि मिल वालों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है ।

[श्री विश्राम प्रसाद]

मेरा सुझाव है कि या तो सरकार अपन ३३–३ परसेंट के टैक्स को कम करे या मिल वालों के मुनाफे को कम करे लेकिन किसानों को गन्ने का दाम दो रुपमे मन दिया जाये जैसा कि अन्य जगह दिया जाता है। महाराष्ट्र में किसान को दो रुपये १३ नये पैसे मन मिल रहा है।

अगर मिल की खराबी की वजह से गन्ने में से कम रस निकलता है और चीनी कम बैठती है तो उसके लिये किसान को न मारा जाये यह मेरी प्रार्थना है।

इन शब्दों के साथ मैं इस रिज्यूलूशन का समर्थन करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** (बुलन्द हर) : सरकार की नई पद्धति वैज्ञानिक है किन्तु इस से उत्तर के किसानों को हानि होगी अतः मैं इसका विरोध करता हूं। वहां के किसानों के सामने कुछ प्राकृतिक और कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित कठिनाइयां हैं जिन के कारण नया सूत्र उन पर लागू नहीं होना चाहिये। एक तो यहां की जलवायु अच्छी नहीं दूसरे कोयम्बटूर का गन्ना यहां अच्छी प्रकार नहीं पनपता। जहां जल की भी कमी है। राज्य सरकार गन्ने के विकास की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती।

भले ही इन्स्पैक्टर लगाये जायेंगे किन्तु वे तो मिल मालिकों की बात का ही समर्थन करेंगे। किसानों को संदेह है कि इस से उन्हें लाभ नहीं होगा। इस संदेह के कई कारण हैं। गन्ना विशेषज्ञों के सम्मेलन से एक दो दिन पहले ही सरकार का यह नीति अपनाना और भी संदेहात्मक है।

देश में चीनी के उत्पादन की लागत कम करने का उत्तरदायित्व पूर्णतः सरकार अथवा मिल मालिकों का है।

अतः उत्तर के राज्यों की विशेष कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गन्ना का मूल्य १ रुपया ६२ नये पैसे निर्धारित करना चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में विशेष रूप से तुंगभद्रा प्रोजेक्ट एरिया का यहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं वहां के हालात थोड़े शब्दों में आप के सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बतलाया कि ३, ३ मील और ४, ४ मील के अन्तर पर गन्ने क मूल्य बदल जाते हैं लेकिन मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि मेरे वहां तुंगभद्रा नदी के इस पार और उस पार जो दो चीनी मिलें हैं उनमें गन्ने की प्राइस में अन्तर हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के इस पार सालारजंग शुगर मिल्स लिमिटेड, मुनीराबाद, डिस्ट्रिक्ट रायचूर है और नदी के उस पार दी इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज़ लिमिटेड, हौस्पैट, डिस्ट्रिक्ट बिलारी है। अब रायचूर वाली मिल में गन्ने का भाव जहां १.६३५ रुपये प्रतिमन है वहां हौस्पैट वाली मिल में भाव १.८१५ रुपय प्रति मन है अर्थात् करीब २० या २२ नये पैसे का फ़र्क है। अब दोनों मिलों में कोई फर्क नहीं है। एक ही भूमि है एक ही किस्म का गन्ना बोया जाता है और एक ही तरह की ईल्ड होती है और पहले यहां का गन्ना उस मिल में और उधर का गन्ना इधर की मिल में आया करता था। दोनों मिलें बाजू बाजू हैं। दोनों मिल मालिक और एजेंसी भी एक ही हैं और कोई वजह नहीं मालूम होती है कि यह २० या २५ नये पैसे का फर्क क्यों किया जाय और इस तरह का फर्क करना बिल्कुल नाइंसाफी है।

तुंगभद्रा एरिया में १०–१२ चीनी मिलें हैं लेकिन कोआपरेटिव में सिर्फ एक ही मिल है। यह दोनों मिलें जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया यह दोनों पूंजीपतियों के हाथ में हैं अर्थात् प्राइवेट सैक्टर में हैं। यहां की एक ही कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी कम्पली है जहां कि किसानों से १.७७० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

प्रति मन के भाव से गन्ना लिया जाता है। किसानों ने इस क्षेत्र में और कोआपरेटिव्स की मांग आप के सामने रक्खी है। यह शायद मौका नहीं है कि मैं उस की बाबत यहां पर कहूं लेकिन इतना मैं कहना चाता हूं कि यहां पर लोक्लाइजेशन स्कीम के तहत किसानों के साथ जबरदस्ती की जाती है कि उन्हें वहां पर गन्ना बोना जरूरी है। इस लोक्लाइजेशन स्कीम के मातहत चंद जमीनों को रिजर्व कर दिया गया है कि यह केन ग्रोइंग एरिया है और बाकी दूसरे हिस्से हैं। मेरा कहना है कि आज के इमरजेंसी के हालात में किसानों को गन्ना बोने के लिये जो मजबूर किया जाता है और जो गन्ना नहीं बोते हैं उनको जुर्माना किया जाता है, यह चीज़ फिलहाल बंद कर दी जाय। लोक्लाइजेशन स्कीम को इमरजेंसी के हालात में सस्पेंड किया जाय। जो किसान गन्ना नहीं बोते हैं और पैडी वगैरह उगाते हैं उनको जुर्माना किया जाता है और बहुत परेशान किया जाता है, यह चीज बंद होनी चाहिये। या तो आप इस लोक्लाइजेशन स्कीम को सस्पेंड कीजिये वरना उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा मिलों के लगाने के लिये लाइसेंस दीजिये। इस के अलावा मेरा यह भी कहना है कि पैडी ग्रोइंग भी तो ग्रो मोर फूड का एक कैम्पेन है और उसको प्रोत्साहन दिया जाय ताकि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके।

मैं मंत्री महोदय से अन्त में निवेदन करूंगा कि इतने नजदीक दो-दो, और चार-चार फर्लांग के फासले पर लगी मिलों में गन्ने की प्राइस में फर्क नहीं होना चाहिये और नदी के इस किनारे और दूसरे किनारे पर लगी मिलों में जो २० या २५ नये पैसे का फर्क है वह जरूर प्राइस पालिसी में कुछ नुक्स होने के कारण है। अब प्राइस के बाबत कोआपरेटिव मिल वालों से भी शिकायत आती है। परसों मैंने एक खत मंत्री महोदय की सेवा में भेजा कि उनको यह तक मालूम नहीं है कि प्राइसेंज़ कितनी फिक्स हो गयीं। वहां के कोआपरेटिव के प्रेसीडेंट ने खत लिखा है कि उनको प्राइसेज़ का कोई इल्म नहीं हालांकि एक महीना प्राइसेज़ फिक्स किये हो गया है। अब इस की जानकारी कराने में इतनी देर नहीं होनी चाहिये और हर एक किसान को समझना चाहिये कि उसके गन्ने की क्या कीमत तय की गई है और अधिकारी उसे क्या दाम देगा और कितनी उन की ईल्ड है ताकि दूसरे साल वे अपनी पैदावार बढ़ा सकें। कीमत कितनी मिलती है यह भी उनको बता देना चाहिये और ऐसा होने से वह ज्यादा उत्साह से गन्ना पैदा करेंगे। बस चूंकि मेरा समय खत्म होगया है इसलिये और अधिक न कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष पहले जब श्री जैन मंत्री थे हाउस में एक प्रस्ताव आया था कि गन्ने का दाम २ रुपये प्रति मन कर दिया जाय। मैं उन लोगों में से एक था जिन्होंने कि इस बढ़ोतरी की मांग का विरोध किया था। मैं चाहता था कि गन्ने के दाम न बढ़ ये जायें। लेकिन आज जब किसी भी तरीके से किसानों के पास गन्ने के दाम के रूप में कम पैसा मिलता है तो मुझे अफसोस होता है और मैं चाहता हूं कि किसी भी हालत में किसानों को गन्ने के बदले जितना पैसा पहले मिलता था उस से कम नहीं मिलना चाहिये। कारण यह है कि हर एक चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। किसानों की जीवनोपयोगी चीजों के दाम बढ़ गये हैं और ऐसी हालत में यदि आज किसानों के गन्ने के दाम घटाये जायें तो उनको कितनी दिक्कत उठानी पड़ेगी इसको शायद पाटिल साहब महसूस नहीं कर रहे हैं।

मैं इस सिद्धान्त का विरोध नहीं करता और जैसा कि पुरी महाशय ने कहा है यह बहुत उम्दा सिद्धान्त है कि गन्ने का दाम रिकवरी के साथ लिंक हो। अब जहां तक सिद्धान्त का सवाल है सिद्धान्त तो अच्छे हुआ करते हैं। जैसे कि यह सिद्धान्त अच्छा है कि हर एक मनुष्य को काफी कपड़ा, खाना और दवादारू की व्यवस्था मिले लेकिन अमली रूप में हम देखते हैं कि वह सिद्धान्त चलता नहीं है। एक आदमी अपनी बीमारी में लाखों रुपये खर्च करता है जबकि एक गरीब आदमी अपनी बीमारी में दो पैसे भी नहीं खर्च कर सकता है। सब को ठीक से खाना, कपड़ा और दवादारू मिलनी चाहिये सिद्धान्त रूप में यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह सिद्धान्त चलता कहां है? एक जबर्दस्त आदमी और

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

एक गरीब आदमी दोनों के सामने एक सिद्धान्त रख दीजिये तो वह चलता नहीं है। इसलिये आपको यह अनुभव करना होगा कि जो हम कायदे कानून बनाने जा रहे हैं वे भले ही कितने अच्छे हों लेकिन उन का दरअसल असर क्या लोगों पर पड़ता है। यह ठीक है कि आज हमारे गरीब किसान सरमायेदारों से न तो बुद्धि में, न छल में और न प्रपंच में पार पा सकते हैं। उन के यहां इन गरीबों लोगों को हुडविंक करने के बहुत से तरीके हैं। मैं यह भी मानता हूं जैसा कि श्री पुरी ने कहा कि सिद्धान्त रूप में एक एरिया की रिकवरी के ऊपर दाम लगाये जाते हैं, अब यदि तीन चार या पांच मील की रिकवरी के ऊपर दाम लगते हैं तो वह किसान जो अपने खेत में खाद डाल कर ज्यादा अच्छा गन्ना पैदा करता है और उसका परसेंटेज ज्यादा होता है और वह किसान जोकि नेगलेक्ट करता है और फलस्वरूप कम परसेंटेज की रिकवरी करता है, दोनों को बराबर गन्ने के दाम मिलेंगे तो यह उस एरिया में इंसेंटिव होगा खराब गन्ने को उपजाने के लिये और यह अच्छा गन्ना उपजाने के लिये पूर्ण रूप से नहीं होगा। इस प्रकार जब यह बात सिद्धान्त रूप में आती है तो इस को ऐक्सटेंड करना चाहिये। आप एरिया को लेते हैं यह उचित नहीं होगा। हर किसान को लेते तो मैं समझता हूं कि यह आप न्याय करने जा रहे हैं। आप से न्याय नहीं हो रहा है बल्कि उन किसानों के प्रति जोकि अच्छी रिकवरी दे सकते हैं अन्याय हो रहा है। कोई भी नया फार्मूला बने तो उस के लिये कोई टाइम निर्धारित किया जाना चाहिये कि इतने टाइम के बाद उस फार्मूले पर आधारित कानून लागू होगा। इस साल जिस वक्त सरकार की ओर से प्राइस की रीकवरी के साथ लिंक करने की घोषणा की गई, उस वक्त किसानों का गन्ना या तो बोया जा चुका था, या बोया जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि वे चेत न सके। सरकार को कम से कम दो बरस का टाइम देना चाहिये, ताकि किसान सचेत हो जायें और अच्छे बीज और खाद आदि का उपयोग करके अच्छी उपज प्राप्त करें, जिस से ज्यादा रीकवरी हो। सरकार ने बीच में ही व्यवस्था को बदल दिया है, जिस से किसान सजग नहीं हो सके और उन का गला कट गया।

जैसा कि श्री विभूति मिश्र के अमेंडमेंट में कहा गया है, अभी इस व्यवस्था को स्थगित किया जाये। गवर्नमेंट कम से कम दो बरस का नोटिस किसानों को दे, ताकि वे इन बातों को पूरी तरह से समझ सकें। इस समय तो स्थिति यह है कि देहातों में किसान यह समझते नहीं हैं कि रीकवरी क्या होती है और कैसे उस को प्राइस से लिंक किया जायेगा। जब किसान अच्छी तरह समझ जायें कि गन्ना बोने से हम को फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इस फार्मूले को लागू किया जा सकता है।

माननीय मंत्री, पाटिल साहब, बड़े मथाडिकल आदमी हैं और बड़े सिद्धान्तवादी हैं, लेकिन केवल गन्ने के किसानों के साथ यह मैथड लागू किया जाये और दूसरे लोगों के साथ नहीं, यह ठीक नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि एक फसल के दाम जगह-जगह पर अलग-अलग होते हैं। गन्ने का भारउत्तरप्रदेश में एक है, तो बिहार में दूसरा है। लेकिन एक मिनिमम भाव, एक कम से कम भाव, निश्चित कर दिया जाये कि किसी भी रूप में १ रुपया ६२ नये पैसे से कम किसानों को नहीं मिलेगा। सरकार ने १ रुपया ५० नये पैसे मिनिमम कर दिया, लेकिन उस को यह तय कर देना चाहिये कि १ रुपये ६२ नये पैसे से कम नहीं मिलेगा, उस से ऊपर चाहे मिल जाये। कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिये, ताकि किसान संतुष्ट रहें और माननीय मंत्री जी का मैथड भी ठीक तरह से चले।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): जब गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त राशियां) विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो प्रायः सब का उस ने विरोध किया था। किस्म के उपयुक्त नियंत्रण पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता। किन्तु इस समय ऐसा कोई संगठन नहीं है जो खेतों में गन्ने की किस्म की जांच करे। जब तक इस प्रकार का संगठन नहीं होगा तब तक प्रस्तावित फार्मूला काम नहीं करेगा।

सरकार को इस बात के लिये कदम उठाने चाहिये थे कि मिल मालिकों द्वारा आस्थगित भुगतान की बकाया राशि किसानों को दे दी जाती।

सभा को यह बताया जाना चाहिये कि क्या मूल्य को गन्ने की किस्म से सम्बद्ध करने का फार्मूला स्वीकार करने के पूर्व गन्ना उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों से परामर्श किया गया था। यह पद्धति उत्पादकों के हित में नहीं है और इस से उत्पादन में बाधा पहुंचेगी। माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें अन्यथा किसानों में क्षोभ पैदा होगा।

श्री ब० प्र० सिंह (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गन्ने के दाम देने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं निकट के एक ही जगह पर दो तरह की दरें नहीं हो सकती हैं। रिकवरी पर दाम देने का यदि उद्देश्य है तो जो किसान ज्यादा सिंचाई करता है, ज्यादा कडनी करता है, उसकी ज्यादा रिकवरी होती है बनिस्बत उसके जो बैल से खेती करता है, जहां पर पूरी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और जो पूरी बौनी नहीं करता है। साथ ही साथ जहां तक ऊख का सम्बन्ध है, उसकी बहुत सी वैराइटीज होती हैं और उसके हिसाब से ही उसकी रिकवरी होती है। कोई ऐसी वेराइटीज होती हैं जिन का वेट तो ज्यादा होता है लेकिन रिकवरी कम होती है और दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि वेट तो कम होता है लेकिन रिकवरी ज्यादा होती है। यह बात समझ में नहीं आती है कि क्या खाद्य मंत्री जी ने पूरी जानकारी प्राप्त करके इस सिद्धान्त का निश्चय किया है या यों ही अंधेरे में रह कर इसके बारे में निश्चय कर लिया गया है।

अभी एक मित्र ने कहा यहां पर "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा" वाली बात है। एक दूसरे मित्र ने उसको दूसरे तौर पर इंटरप्रेट किया है। इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिये था कि ऊख कई किस्मों की होती है, उसकी अलग-अलग किस्में होतीहैं और किस्मों के आधार पर रिकवरी भी अलग-अलग होती है। किस सिद्धान्त पर यह सब कुछ तय कर दिया गया है, समझ में नहीं आता है। मेरा नहीं खयाल कि न्यायपूर्वक किसी सिद्धान्त को कहीं बरता जा रहा है।

ऊख की खेती किसान इसलिये करता है कि यह मनी क्राप है। अगर यह मनी क्राप न होती तो किसान इसकी तरफ मुखातिब न होता। उस हालत में दूसरी फसलों में उसको जितना पैसा मिलता है, उस से अधिक ही पैसा इसमें मिल जाता। जहां तक रिकवरी के आधार पर गन्ने की कीमत तय करने की बात है, यह सवाल भी पैदा होता है कि कौन से समय को आधार मान कर चला जायेगा। शुरू-शुरू में जो गन्ना पेरा जाता है, उस में से जो रस निकलता है, उस में से जो रिकवरी होती है वह कम होती है और अन्त में जो पेरा जाता है, उस में भी रिकवरी कम होती है। बा ज्यादा होती है। इस बात का भी निश्चय नहीं किया गया है कि किस समय की रिकवरी को सरकार ध्यान में रखेगी और गन्ने के दाम तय करेगी।

आज कहा जाता है कि सरकार किसान के लिये सब कुछ कर रही है, उसको सहूलियतें नाना प्रकार की दे रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से आज तक उसके पर-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री व० प्र० सिंह]

कैपिटा इंकम में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। जहां किसान को हर तरह की सहूलियतें दी जानी चाहिये वहां उसके रास्ते में तरह तरह की कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की जाती है। अभी भी ऐसा देखा जाता है कि मिलें किसान को पूरा पूरा चुकता एक साथ नहीं करती हैं और बहुत पीछे का पैसा, अपने पास रख लेती हैं। अब जो निश्चय किया गया है कि रिकवरी के आधार पर उसको गन्ने का मूल्य दिया जाये, उसके आधार पर जो इस वक्त रिकवरी होगी, उस में और भी अंधेरगर्दी की जायेगी। किसान को पैसे की जरूरत होती है। किसान अपनी फसल को तुरन्त बेच कर तुरन्त पैसा चाहता है। यों ही मिल वाले उसको पैसा देने में देरी करते हैं, लेकिन अब तो और भी देरी से पैसा देने की गुंजाइश हो जायेगी, जोकि किसान के हित के प्रतिकूल होगा। समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे कौन सी तथ्य की बात देखी गई है, किसान का कौन सा हित सोचा गया है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धान्त को मान ले कि जितने रुपये मन चीनी होगी, उतने आने मन ही गन्ने के दाम होंगे। यदि आप वास्तव में किसान का हित चाहते हैं और चाहते हैं कि किसान उत्साह से कार्य करे तो आपको इस सिद्धान्त को मान लेना चाहिये।

हमारे एक मित्र ने अभी बताया है कि नदी के इस पार और नदी के उस पार के गन्ने के दाम में भी कर्क रखा गया है। इसके पीछे कोई सिद्धान्त की बात मालूम नहीं पड़ती है। यह भी नहीं है कि जो किसान ज्यादा मेहनत करेगा, बढ़िया तरीके से खेती करेगा, ज्यादा पटावन करेगा, ज्यादा कोरनी करेगा, उसकी रिकवरी भी ज्यादा होगी। अपनी इस सारी मेहनत का भी पैसा उसको नहीं मिल सकेगा। मैं नहीं समझता कि जो फार्मूला तय किया गया है, उसके पीछे कोई सिद्धात की बात है। मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूगा कि वह निश्चय करें कि चीनी की कीमत के आधार पर ऊख की दर निश्चित हो। ऊख की वेराइटीज पर यह होना चाहिये।

मिल मालिकों का आप जितना खयाल रखते हैं, उतना ही खयाल आप को किसानों का भी रखना चाहिये। जब उन की चीनी बिक नहीं सकती है, तब आप जिस में उन का हित होता है, वैसा ही करते हैं। फारेन कंट्रीज़ में जो उन का माल जाता है, उस पर गवर्नमेंट उन को वेटेज देती है। अगर उन को घाटा होता है, तो उस की पूर्ति करती है। हर सम्भव तरीके से उन को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन किसानों के लिये कोई प्रोत्साहन की बात नहीं की जाती है। आज चीनी की जो दर है, वह कल अगर बढ़ जाती है तो किसान को जो पैसा पहले मिला करता था, उसी पर उस को सतोष मान कर बैठ जाना पड़ता है। उस के सामने इस के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये। उस को भी बढ़े हुए दाम का लाभ मिलना चाहिये।

हमारे मित्र ने बताया है कि ऊख वाले अधिकतम टैक्स हिन्दुस्तान में देते हैं। वे इतना टैक्स देते हैं, जितना दूसरे नहीं देते हैं, दूसरे मुल्कों वाले नहीं देते हैं। मैं समझता हूं कि किसानों की जो यह एक मुख्य मनी क्राप है, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मुख्य तौर से ऊख की खेती होती है, इस में जितनी भी सहूलियतें हो सक, उन को देने की व्यवस्था की जाय। आप किसानों को कहते हैं "ग्रो मोर"। हम कहते हैं कि "ग्रो मोर एंड पे मोर"। आप को चाहिये कि आप उन को अधिक से अधिक दें।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का तथा जो संशोधन पेश किया गया है, उस का समर्थन करता हूं।

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : : मैं माननीय सदस्यों की इस चिन्ता को अनुभव करता हूं कि देश में जो लाखों किसान हैं उन्हें यथा संभव मुसीबतों से बचाया जाये । मेरे भाषण के अन्त में हर सदस्य पर यह अनुभव करेगा कि हम जो कर रहे हैं उस से किसान को सहायता मिलेगी । कई सदस्य नहीं जानते कि जिस सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं वह क्या है । श्री प्रकाशवीर शास्त्री को भी यही कठिनाई है । उन्हों ने कई बातों का जो को गई हैं और प्रकाशित की जा चुकी हैं विचार नहीं किया अन्यथा वे अपने निष्कर्ष पर न पहुंचते जो उन्हों ने बताया है ।

विश्व में कहीं भी गन्ने का मूल्य गन्ने के आधार पर नहीं दिया जाता बल्कि गन्ने से पैदा होने वाली चीनो पर मूल्य दिया जाता है । यदि आप खोई से रस निकाल लें तो उस का मूल्य ३–२–० रुपये तो क्या १ आना भी नहीं है । उस का ६०, ७० प्रतिशत रस ही मूल्यवान होता है । मैं वैज्ञानिक तौर पर बताऊंगा कि गन्ने में रस कितना होता है ।

इस में कोई पवित्रता की बात नहीं कि यह काम इसी वर्ष अथवा अगले वर्ष करना चाहिये । यदि ऐसा करना पड़े तो आपातकाल के कारण कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी । मैं ने आपात का उल्लेख किया ताकि किसान को हानि न हो । मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं कि आखिर में इस सूत्र के अनुसार उन्हें अधिक मिलेगा और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जायगा ।

इस देश में अथवा कहीं भी कृषि का मूल्य गुण प्रकार के अनुसार दिया जाता है । चावल, गेहूं, पटसन, तिलहन, धान कहवा जवार आदि के बारे में कहा जा सकता है कि गुणप्रकार की बजाय वजन के अनुसार पैसे दिये जाते हैं । कहीं भी ऐसा नहीं होता । जहां तक गन्ने का प्रश्न है यह पैदा नहीं होता क्योंकि यह विनिमय गन्ना त्पादक और मिलों के बीच होता है । चूंकि सरकार ने पिछले दस वर्ष से इसे में रुचि देनी आरम्भ कर दी है यह उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जिस से हम ३५० करोड़ रुपये कमाते हैं और हम उत्पादन शुल्क के रूप में भी ५० करोड़ रुपये कमाते हैं । इसे में से हमें २० करोड़ रुपया व्यय करना पड़ता है क्योंकि लगभग ५ लाख टन चीनी के आयात के लिये मूल्य को सहायता देनी होती है । अतः हम प्रयत्न कर रहे हैं कि गन्ना उत्पादकों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाये जिसे से वे अधिकाधिक अच्छा गन्ना पदा करें ।

मैं इस प्रोत्साहन को बढ़ा रहा हूं । अब तक प्रोत्साहन कुछ नहीं था क्योंकि गन्ने का भार गिना जाता था । जब हम ने रु० १–५, रु० १–७–० और रु० १–१०–० रुपये की दर रखी तो ये अच्छी या खराब चीनी के लिये नहीं थी बल्कि प्रोत्साहन के लिये था । यह अंधेर नगरी थी क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम किस बात के पैसे दे रहे हैं । मैं चाहता हूं कि किसान को दो रुपये प्रति मास मिलें और वह मेरी पद्धति से सम्भव है न कि माननीय सदस्यों की पद्धति है । जब तक मैं गन्ने का मूल्य बढ़ा कर उसे के साथ ८ प्रतिशत , ९ प्रतिशत या १३ प्रतिशत चीनी उत्पादन या इस से भी कहीं अधिक उत्पादन का प्रतिबन्ध न रखूं तो गन्ना उत्पादकों को ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता जो मैं गन्ना उत्पादकों को दे सकता हूं क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि गन्ना उत्पादकों को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिले जिस से गन्न के अंश में चीनी की भी वृद्धि हो और प्रति एकड़ उत्पादन भी बढ़े । इसीलिये मैं इस समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल कर रहा हूं ।

वास्तव में यह बहुत अच्छी बात है कि गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से जो इस देश में कमी थी वह अतिरिक्त उत्पादन में बदल गई है और मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि भारत इसी स्थिति को बनाये रखेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

इतना ही नहीं बल्कि मैं गत दो वर्षों में ६ से ७ लाख टन तक चीनी बेचने में सफल हुआ हूं जिस से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। इस प्रकार के आपात काल में यह उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है ।

मैं चाहता हूं कि आगामी वर्षों में गन्ने में अधिकाधिक चीनी हो और अधिकाधिक गन्ने का उत्पादन हो। यदि हम १० लाख टन चीनी बेच सके तो हमें ५० करोड़ विदेशी मुद्रा मिल सकती है जो देश के लिये अत्यावश्यक है ।

क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम कोई प्रगति न करें और आपातकाल के नाम पर वे कहते हैं कि हम इस इस वर्ष नहीं तो एक वर्ष बाद ऐसा करें। मैं आप को बताऊंगा कि मैं ने इसे सूत्र को कितना बदल दिया है ।

उस से पूर्व मैं एक तर्क का उत्तर देना चाहता हूं। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप गन्ना उत्पादकों को किस प्रकार चुनते हैं। एक ईमानदारी से काम करने वाला हो सकता है और दूसरा ऐसा जिस ने प्रयत्न ही न किया हो। मैं इस तर्क को नहीं समझ सका। हम जो कुछ कर रहे हैं सारे देश में कर रहे हैं। मैं गन्ने को गांव से मिल तक तो ले आया हूं। यदि किसान वास्तव में अच्छा गन्ना पैदा करता है तो वह उस गन्ना उत्पादक से अधिक मूल्य पाता है जिस के गन्ने में रसे कम होता है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री चाहते हैं कि हमें उस विशेष किसान को भी प्रोत्साहन देना चाहिये जो अच्छा काम करता है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऐसा कर रहा हूं। पांच मिलों में आजकल ऐसा किया जा रहा है। यदि एक किसान पर कुछ किसान सहकारी रूप में २।। या तीन टन गन्ना पैदा करत है तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है और अलग मूल्य दिया जाता है। ऐसा एक मन चीनी पैदा करने वाले के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि मिल में दिन में पांच मिनट गन्ना पेरने के लिये प्रायः २।। या ३ टन गन्ने की आवश्यकता होती है। इस प्रथा को थोड़ा थोड़ा कर के लागू किया जाता हैं। एक दो वर्ष में यह सभी जगह लागू हो जायगी। आजकल तो देश इस कारखाने के लिये पैसे देता हो चीनी के लिये नहीं। केवल गन्ना ही ऐसी कृषि है जिस के लिये गुण प्रकार का ध्यान रखे बिना पैसे दिये जाते हैं ।

इसके लिये आप देखेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें हानि होती है हालांकि हम अच्छा उत्पादन करते हैं। हम बुरे उत्पादक नहीं उत्तर प्रदेश भी बुरा उत्पादक नहीं। बिहार भी बुरा नहीं। मैं इस-लिये यह बता रहा हूं कि तुलना चारों की नहीं है। वहां के गन्ने की महाराष्ट्र के गन्ने से तुलना ले। अधिकतर लोग नहीं जानते कि महाराष्ट्र में गन्ना दो वर्षों की फसल होती है, उत्तर प्रदेश के समान एक वर्ष की नहीं अतः आज जत्तर प्रदेश की फसल को दुगना कर दें। यदि यह १५ टन है तो आप महाराष्ट्र की तुलना में इसे ३० टन करें। पुनः जत्तर प्रदेश में उत्पादन लागत श्री शास्त्री द्वारा बताये आंकड़ों के अनुमान भी २०० रुपया या ३०० रुपये से अधिक नहीं, जबकि महाराष्ट्र में यह कभी कभी ७०० रुपये तक हो जाती है। जब अधिक धन खर्च किया जाय, अधिक उर्वरक आदि डाला जायगा, ट्रैक्टरों आदि का उपयोग किया जायगा, तो स्वभावतः अधिक उपज होगी। इसलिये यह अनुपात से है ।

उत्तर प्रदेश में कई बार गन्ने की एक फसल के तुरन्त बाद दूसरी फसल भी बोई जाती है। जैसी वर्ष में दूसरी फसल हो जाती है गन्ने की नहीं, किसी और चीज की, किन्तु महासूाष्ट्र में दो वर्षों में गाप थोड़ी अधिक फसल ले सकते हैं। अतः यदि कुल योग किया जाय और जत्तर प्रदेश तथा बिहार, इवाकी और महाराष्ट्र में हुए कुल व्यय को लिया जाय, तो पता चलेगा कि अन्तर इतना अधिक नहीं जितना बताया गया है ।

मैं समझ सकता हूं कि सदस्य क्या सुझाव दे रहे हैं। वे गले के मूल्य को चीनी से मिलाने के सिद्धान्त का विरोध नहीं कर रहे। किन्तु वे समझते हैं कि यदि इस अन्धे राज में एक गन्ना उत्पादक को १.६२ रुपये मिल रहे थे तो उसे कभे नहीं मिलना चाहिये। मैं यह उत्सूकता समझता हूं और इस से सहमत हूं। अतः मैं कहुंगा जैसा वे समझते हैं उस प्रकार किसी को हानि नहीं होने पायगी।

मूल सूत्र यह था कि अगले वर्ष की फसल की कीमत इस वर्ष की कीमत के आधार पर दी जाय, चाहे वसूली कुछ भी हो। किन्तु वह सूत्र पूरे मौसम पर निर्भर था। जैसाकि श्री पुरी ने कहा है वह नवम्बर में आरम्भ हो कर मई में समाप्त होती है। यदि आप पूरे मौसम को लें, तो क्या हो है ? नवम्बर में वसूली सब से कम थी। अप्रैल और मई में पुनः वसूलो कम होतो जाती है आखिरकार यह निम्नतमहो जाती है। इसलिय यदि पूरे वर्ष को लिया जाता है तो औसत थोड़ी कम होगी। उस के अधीन, स्मभावतः ५ या ६ नये पैसे कम होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले में। अतः बहुत से सदस्यों द्वारा की गई अपीलों के कारण——अब यहां नहीं पहले भी——मैं ने अपना सूत्र बदल दिया है इस वर्ष के लिय। मैं ने कहा है कि मैं नवम्बर के महीने को नहीं लूंगा। न ही श्री पुरी इसे पसंद करेंगे क्योंकि इस का अर्थ यह होगा कि इसे अधकि कीमत देनी पड़धी। न ही मैं अप्रैल और मई के महीनों को लूंगा। मैं दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च के चार महीनों को लूंगा और उस के औसत के आधार पर मैं पूरी अवधि की कीमत का अनुमान लगाऊंगा।

अब मैं बिहार के अपने मित्रों और विशेष रूप से श्री विभूति मिश्र से पूछूंगा कि क्या बिहार में पिछले वर्ष पूरी अवधि में बिहार को १.६२ रुपय मिले ? मुझ याद है कि अप्रैल से मई तक वसूली बहुत कम हुई और उन्हों न केवल १.६२ रुपय नहीं मिले किन्तु उन को १ रुपया भी नहीं मिला। अतः यदि आप नवम्बर से प्रारम्भ होने वाले और मौसम के साथ समाप्त होने वाली समूची अवधि में बिहार के किसी किसान को पुराने सूत्र के अनुसार १.६२ रुपय भी नहीं मिले, क्योंकि यदि मिलों को उतनी कीमत देनी पड़ती, तो वे गन्ना न लेते, क्योंकि इसे लेना खतरनाक था जब इस में चीनी नहीं थी। अब, मेरे सूत्र के अनुसार आप चार महीनों की औसत लें और इसे पूरी अवधि की कीमत बनायें, प्रारम्भ से ले कर अन्त तक वह कीमत देनी पड़ेगी।

मैं अब आपको बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में या बिहार में इस सूत्र के कारण। आज अधिकतर मिलों को सहकारी मिलों में बदला जा रहा है और यदि वे अत्युत्तम बीज लाने का प्रयत्न करें, अत्युत्तम परिश्रम का, जिस के द्वारा उनको अधिक वसूली हो सके और सिंचाई उर्वरक डालने तथा अन्य चीजों के द्वारा प्रति एकड़ उपज करें, जो प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिय आवश्यक है, हो सकता है १.६२ के स्थान पर प्रत्यक को २ रुपये मिलें।

मुझे आश्चर्य हुआ जब श्री देशमुख ने १५ के आंकड़े बताये। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको आंकड़े कहां से मिले किन्तु संसार में कहीं भी यह १५ नहीं है। मैं उस स्थान पर मेरे मित्र से अधिक बार गया हूं।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : उठे——

†**श्री स० का० पाटिल** : संसार में कहीं भी नहीं। इन्डोनेशिया में १५ और १३.५ के बीच है, हवाई सप्रोरटो राइसो में भी १५ नहीं है, न इसकी संभावना है। क्योंकि वसूली १२ प्रतिशत से अधिक है——मालेगांव में, न कि दाहालोकर की फैक्टरी में——प्रति एकड़ औसत उपज ८० टन है। हवाई के ही समान महाराष्ट्र में प्रति एकड़ औरसत उपज ८० टन है। अतः ८० टन की अधिक वसूली से १० टन चीनी प्रति एकड़ मिलती है न कि गन्ने की। अतः माननीय सदस्यों को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

यह विचार नहीं रखना चाहिये। वह मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि मराठवाड़ा की वही स्थिति नहीं। मैं महाराष्ट्र के अन्य भागों की बात कर रहा हूं। मैं मराठवाड़ा में एक चीनी फैक्टरी लगवाने का प्रयत्न कर रहा हूं। किन्तु यदि वह इस प्रकार विरोध करेंगे और १५ प्रतिशत चाहेंगे, तो ऐसे स्थान के लिये कोई भी चीनी फैक्टरी की सिफारिश नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं मराठवाड़ा में उपज कितनी है किन्तु सवाल यह नहीं है।

अतः आज प्रश्न यह है। हमने जो सूत्र बनाया है, मैंने लोगों की अपील पर उसमें संशोधन कर दिया है। लोगों ने शिकायत की कि उनकी औसत पूरे मौसम में नहीं होगी किन्तु औसत दिसम्बर से मार्च तक होगी। मैं आगे बढ़ा हूं और अधिक संशोधन नहीं किये हैं। जब अधिक लोगों ने कहा, "जी नहीं, तब भी हमें कम मिलेगा," मैंने कहा, "मैं आपको थोड़ा और दूंगा।" इसलिये मैंने कहा है कि ९.८ प्रतिशत वसूली, मैं १.६२ रुपय दे रहा हूं। किन्तु ९.७ को थोड़ा कम मिल सकता था, अतः मैं कहता हूं कि यदि आप ९.७१ करे तो मैं इसे ९.८ मानूंगा और आपको तदनुसार दूंगा। इसलिय सौवां भाग मैंने इसे १/१० रुपये कर दिया है अब सभा अनुमान करेगी कि गणित को दृष्टि से इसका क्या अर्थ है। यदि आपकी वसूली ९.६१ है, तो इसे ९.७ माना जाएगा, यदि यह ९.७१ है तो इसे ९.८ माना जाएगा, किन्तु उससे आगे नहीं किन्तु उसके बाद मुझे अधिक देना पड़ेगा। अतः यह वसूली के अनुसार दी जाएगी। इसका क्या परिणाम होगा। जब ये सब साथ किये जाएंगे, जब ऋतु बदल जाता है, जैसा मैंने कहा, जब आधार बदल जाता है,तो आप देखेंगे कि कोई भी कठिनाई नहीं होगी।

बहुत से लोगों ने कहा हैं कि क्योंकि मिल मालिक सदा बुरा आदमी होता है उस पर चोट नहीं की जानी चाहिए। वे चाहे बुरे हों, मुझे पता नहीं किन्तु वे मोटी चमड़ी वाले होते हैं और उन पर चोट करना कठिन होता है। किन्तु मैं मिल मालिकों की ओर से नहीं बोल रहा हूं। हमें अपना तंत्र सुधारना चाहिये ताकि गन्ना उत्पादकों को वैध अधिकारों से वंचित न होना पड़े। अतः हमने क्या किया है ? यह अकेले मिल मालिकों पर नहीं छोड़ दिया गया। मिल मालिक और सरकार दोनों होंगे क्योंकि उत्पादन शुल्क कर्मचारी वहां हमेशा बैठा रहता है। मैं इसके साथ कार्मिक संघों को भी जोड़ रहा हूं। कार्मिक संघ के आदमी को वहां हमेशा बैठने से जब कभी वसूली की जाए और गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधि भी होगा। अतः इन सब प्रतिनिधियों के वहां होने पर इस व्यापार में अन्धेर नगरी होने की कोई गुंजाइश नहीं जब चार व्यक्ति इन सब टैलीस्कोपों के साथ बैठ कर देखेंगे कि इस चीनी का क्या प्रभाव होगा। और कुछ करने की और गुंजाइश नहीं। किन्तु एक गुंजाइश है। इसके बाद क्या होगा वह यह है।

जैसाकि श्री दे० द० पुरी ने तथा किसी अन्य व्यक्ति ने कहा है कि एक ही क्षेत्र में अन्तर हो सकता है। उसी क्षेत्र में क्यों। मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं इंगलिस्तान में प्रयोगात्मक कार्य देखने गया था, अर्थात् रोथम स्टैंड फार्म को। यह संसार का सर्वोत्तम फार्म है। यह पिछले १६० वर्षों से है। उनके पास ग्यारह एकड़ का भू-भाग है और प्रत्येक एकड़ में उनके पास गेहूं की विविध किस्में हैं। उसी प्लाट में एक एकड़ में उपज अलग अलग है। कई बार अन्तर बहुत अधिक होता है। कौन सा उर्वरक उत्तम किस्म पैदा करता है, तथा बेहतर उपज देता है गेहूं के सम्बन्ध में। वे एक एकड़ पर ७५ हण्डरवेट गहूं तक पैदा कर सके हैं, अर्थात् प्रति एकड़ ३ ३।४ टन। इसलिये यह हैरानी की बात नहीं कि माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे कि तीन और छः मीलों के बीच यह अन्तर है। मैं उनको बता रहा हूं कि एक एकड़ तथा दूसरे एकड़ के बीच यह परिवर्तन होता है। ग्यारह एकड़ों के अन्दर चीजों में परिवर्तन होता है उर्वरकों के कारण और किसान द्वारा उस खेत की ओर विशेष ध्यान देने के कारण।

इसलिये आप देखेंगे कि किसान प्रविधिक ब्यौरे के सम्बन्ध में प्रमुख होता है, कि वहां सिंचाई पर्याप्त होनी चाहिये और पर्याप्त उर्वरक हों, उचित पौधा खुराक आदि हो, स्टोरेज दिया जाए, और विशेष समय पर बोई जाए, खास समय पर काटी जाए, आदि आदि। गन्ना उद्योग में और प्रक्रियायें हैं। यदि आप यह करे तो परिणाम उत्तम होंगे। अतः मैं नहीं समझता कि संकट काल कैसे चित्र में आता है।

क्या किसी व्यक्ति को कोई हानि हो रही है? सम्बद्ध सरकारे अर्थात् उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अतिरिक्त भारत के सभी राज्य सरकार मान गये हैं तथा बिहार और उत्तर प्रदेश भी मान जाएंगे जब उनको यह नवीन सूत्र दिखाया जाएगा। मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई उन सरकारों से, किन्तु माननीय सदस्य अनुभव करते हैं कि किसी प्रकार किसानों के हितों की रक्षा सम्बद्ध मंत्री का या मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती। मैं उनको एक बात बताऊंगा इसलिये नहीं कि मैं शेखी मारता हूं या उनको यह बताता हूं। कोई भी मंत्री इस देश में पागल या मूर्ख होगा यदि संकट काल में वह किसानों को शत प्रतिशत सहयोग प्राप्त नहीं करता। किसान ही तथा सैनिक ही इस युद्ध को जीतेंगे। क्योंकि जब तक खाद्य स्थिति सन्तोषजनक न हो—जब तक सब लोग संयुक्त न हों और अधिक उत्पादन न करें, जब तक किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन न दिय जाएं, इससे काम नहीं होता।

कोई व्यक्ति कह रहा था मान लीजिय किसी मिल में, कुछ कम दिया जाता है तो क्या होता है? धन कहां जाता है? आप समझ सकते हैं कि धन मिल मालिकों की जबों में नहीं जाता। मैं जानता हूं कि उस धन को कैसे लिया जाता है। क्योंकि आखिर हिसाब तो किया जाता है। जो अधिक लाभ दिखाया जाता है, उसे बांटा जाता है। इस स्तर पर सत्तर प्रतिशत गन्ना उत्पादक के नाम जाता है।

माननीय सदस्य ने यह वही पुरानी समस्याएं उठा दी हैं, खोई और शीरे के बारे में क्या है, आदि तथा श्री विभूति मिश्र का बार बार दोहराया गया वह तर्क था कि यहां शीरा कैसे बच जाता है। उन्होंने वह सूत्र नहीं देखा जिसे कुछ दिन पूर्व इस सदन ने पास किया था। केवल इतना ही नहीं, चीनी के ८ या १० उप-उत्पाद हैं। इसके प्रत्यक पहलू पर विचार किया जाता है, और लागत जमा की जाती है तथा लाभ दिखाया जाता है, ताकि मिल मालिक को उस लाभ को बांटना होता है। यह सूत्र हमने केवल कुछ दिन पहले पास किया है।

माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा जिसका उत्तर श्री डी० डी० पुरी ने दिया कि भारत में गन्ने की सब से कम कीमत मिलती है। उनकी बात गलत थी। मैं आंकड़े दूंगा कि उसको क्या मिलता है। आपको करों को हटा लेना चाहिये। कर जान बूझ कर रखे गये हैं। उनको सरकार लगाती है। मैंने आपको बताया कि सरकार को उत्पादन शुल्क से ५० करोड़ रुपये मिलते हैं। संभवतः अन्य स्थानीय कर भी कई करोड़ रुपये के हों। यदि आप इनको हटा दें और करों के बिना शुद्ध कीमतें को लें, तो मूल्य में से ७० प्रतिशत गन्ना उत्पादक के पास चला जाता है। भारत ही एक देश है जो कुल उपज या कुल लाभ में से गन्ना उत्पादक को सब से अधिक देता है। यदि और अधिक देना होता है तो वह भी हम देते हैं। अन्य देशों में यह नहीं किया जाता। हम देते हैं। यदि मिल मालिक को कोई लाभ होता है—तो वह लाभ भी अनुसूची के अनुसार होता है जो हमने घोषित की है और जो हमने पास की है—उसका हिसाब लगाना पड़ता है। अन्य सभी उप-उत्पाद जोड़ने पड़ते हैं। प्रत्येक चीज को जोड़ना होता है और अन्त में कुल योग आ जाता है। अतः यह ७० प्रतिशत से अधिक हो जाता है क्योंकि अन्य चीजें भी जोड़ी जाती हैं जैसे कि श्री स० मो० बनर्जी ने कहा, कि केवल उत्तर प्रदेश को देना पड़ता है, आदि।

[श्री स० का० पाटिल]

अन्य बातें भी इस चर्चा में लाई गई हैं कि कुछ लोगों ने भुगतान नहीं किया। यह भिन्न बातें हैं यद्यपि मैं नहीं कहता कि वे इस खास वाद विवाद में से सम्बन्धित नहीं हैं। बुरे मिल मालिक भी हैं, अच्छे भी हैं। मैं जानता हूं कि लगभग १० या २० मिल बुरे हैं, न केवल रचना में, किन्तु सम्बन्ध में भी। उसके परिणाम स्वरूप गन्ना उत्पादकों को हानि होती है। इसका इलाज है। यदि वे काफी बुरे हो जाएं, तो मैं उनका प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर सरकारी प्रबन्ध कर सकता हूं। जहां सरकारी लोग लगाये जाते हैं, मैंने अनुभव से देखा है कि अधिकतर फैक्टरियों में, जिन्होंने कभी कोई लाभांश या लाभ नहीं दिया था, लाभ कमाने लगती हैं क्योंकि इसमें सरकार को दिलचस्पी नहीं होती, केवल इतनी होती है कि यह सन्तोषजनक ढंग से चले और गन्ना उत्पादकों को हानि न हो। ये सब दूसरी चीजें आ जाती हैं। वे गन्ने में चीनी के भाग के साथ कीमत को मिलाने के इस विशेष तरीके से उत्पन्न नहीं होती। किन्तु ये सामान्य बातें हैं। इनकी जांच की जाएगी।

मैं बताऊंगा कि वास्तव में क्या किया जाने वाला है। एक प्रसिद्ध डचमैन है। इस प्रश्न पर उनके टिप्पण बहुत ध्यान देने योग्य हैं। वे बहुत संक्षिप्त हैं और इसलिये मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। वह कहते हैं :

> "भारत में गन्ने की कीमत वजन के आधार पर दी जाती है चाहे किस्म कैसी भी हो। १० प्रतिशत चीनी देने वाली फसल में शेष ९० प्रतिशत जल और रेशे तथा कुछ थोड़े अन्य आर्गेनिक एवं गैर आर्गनिक तत्व होते हैं।

कोई भी समझ सकता है कि लक्काडी में ३–८–० रुपये की तुलना में गन्ने में केवल १० प्रतिशत वास्तविक चीनी होती है और शेष जल आदि होते हैं। हम वास्तव में उसी की कीमत देते हैं।

"चालू प्रणाली के अधीन, समान कीमत गन्ने के लिये दी जाती है चाहे इसमें ६ या १२ प्रतिशत चीनी वसूल होती है। अतः वही कीमत जल कोई आदि के लिये दी जाती है जो चीनी के लिये।"

इसलिये यह अत्यधिक अनियमित तरीका है जिससे कीमत दी जाती है। अतः समितियां और आयोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया है और सिफारिशें की हैं। गोपालकृष्णन समिति ने कहा कि कीमत को उसके साथ सम्बद्ध होना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रशुल्क आयोग ने भी इस पर विचार किया। वास्तव में हमने कोई समिति नहीं बनाई जिसका एकमत न रहा हो कि इसके पश्चात् यह अनियमित चीज काम नहीं करेगी। हम इस को गन्ने के चीनी के तत्व के साथ मिलाना होगा। अतः प्रशुल्क आयोग ने १९६२–६३ से यह सुझाव दिया था जब नियंत्रण और अन्य चीजें नहीं रहतीं, हर चीज खराब हो जाती है यदि हम समय पर दोनों को मिला नहीं देते। अतः हमें कीमत को मिलाने के लिये शीघ्रता करनी पड़ी, ताकि गन्ना उत्पादक के साथ धोखा न हो अथवा जितना मिलता है उससे कम न मिले।

अब मैं बताऊंगा कि लोगों को कितना लाभ या हानि हो रही है, क्योंकि माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में, जहां ७० या ७१ फैक्टरियां हैं, १८ फैक्टरियां अधिक कीमत देती हैं। उत्तर प्रदेश सामान रुप से बुरा नहीं। वहां ऐसी फैक्टरियां हैं जो महाराष्ट्र की फैक्टरियों के प्रायः समान हैं, वहां गन्ना उत्पादक को न केवल १.६२ रुजये मिलते हैं अपितु उसे १.७१ या १.८० या १.८५ रुपये मिलते हैं। ऐसी फैक्टरियां भी वहां हैं। जो एक फैक्टरी में किया जाता है, वह अनिवार्यतः दूसरी में किया जा सकता है यदि वही तरीके अपनायें जायें। बिहार में २८ में से ७ अधिक कीमत देंगी। औसत कीमत उत्तर प्रदेश में १.५९ रुपये होगी तथा बिहार में १.५७ रुपये। यह औसत कीमत ही है। मैं जब औसत कीमत की बात करता हूं तो माननीय सदस्यों को

यह नहीं भूल जाना चाहिये कि नवम्बर में और अप्रैल मई में भी मन्दी कीमत लगभग एक रुपया हो जाती है, यदि आप पूरे वर्ष के बारे में अनुमान लगायें तो आपको १.५९ या १.५७ रुपये से अधिक नहीं मिल सकती। अतः मैं कोई हानि वाली बात नहीं कर रहा हूं।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : पिछला वर्ष अपवाद था।

†**श्री स० का० पाटिल** : अगला वर्ष भी अपवाद होगा, क्योंकि कोई समझदार आदमी या मिल हमारा गन्ना नहीं लेगा यदि चीनी तत्व गिर कर ७ या ८ प्रतिशत रह जाता है, क्योंकि वह उसके लिये खतरनाक होगा। अब यह कहा जाता है कि यूं कुछ लोगों को हानि नहीं होगी। यह मान कर भी कि कुछ लोगों को हानि होगी, पांच प्रतिशत को चार या पांच नया पैसा, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ९५ प्रतिशत को कुछ अधिक मिले। महाराष्ट्र में उनको आज अधिक मिल रहा है। उनको २ रुपये या २.२० रुपये या २.३० रुपये अधिक मिलते हैं वहां औसत लगभग २-४-० रुपये है। आंध्र प्रदेश या मैसूर में भी औसत १.६२ रुपये से अधिक है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ मिलों का प्रश्न है।

इस लिये मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि यदि वे भी प्रयत्न करे और अपनी प्रति एकड़ उपज बढ़ाएं तथा चीनी तत्व भी बढ़ाय, तो उन को अधिक मिलेगा। मैं उत्तम तरीकों को भी जारी कर रहा हूं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के दो मिलों में उनको जारी किया जा चुका है। यदि आप सहकारी संस्था या दो या तीन किसानों के इकट्ठा मिल जाने की सहायता के साथ लगभग २१।२ से ३ टन तक लाएं, जो वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं और प्रगतिशील किसान हैं जो खेती के उत्तम तरीके अपनाते हैं उत्तम उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तथा अधिक चीनी वाला गन्ना पैदा करते हैं, तो वह अच्छी बात होगी।

मेरा मा० मित्र यह समझता है कि यह सब काम प्रयोगशाला में किया जाता है। यह किसी प्रयोगशाला में नहीं, वास्तव में मिल में किया जाता है। जब वहां गन्ना आता है, तो इस का वजन किया जाता है, फिर चीनी का भार लिया जाता है और चीनी तत्व जाना जाता है। मेरे पास चार लोगों का तंत्र है जो लगातार निगरानी रखते हैं और देखते हैं कि कोई धोखा न हो और ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे मिल मालिक या किसी और को इससे कोई लाभ प्राप्त न हो।

अतः सभा यह अनुभव करेगी कि हम इस तरीके को अपना रहे हैं और यदि हम उसे अपनाते हैं, इसमें न केवल कोई बात गलत है, किंतु इससे उद्योग को सहायता मिलती है। भारत चीनी उद्योग के मामले को बड़े ठोस आधार पर रखा जाएगा और हम निश्चय ही स्थिति को बदलेंगे तथा हमारे लिये यह बेहतर होगा और हमें करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

मैं अपने मा० मित्रों की भावनाओं को समझता हूं। मेरे द्वारा स्पष्टीकरण किये जाने के पश्चात् मुझे आशा है कि किसी के मन में कोई सन्देह बचा नहीं रहेगा और प्रत्येक को विश्वास होगा कि यह किसी को दण्ड देने के लिये नहीं किया गया।

श्री विभूति मिश्र ने एक संशोधन पेश किया है। किंतु मेरे द्वारा इस स्पष्टीकरण से मुझे आशा है कि वह अपना संशोधन वापिस ले लेंगे। इस में किसी को कोई हानि या खतरा नहीं है। इसे एक वर्ष तक प्रयोग में लाने के पश्चात् अन्त में मुझे विश्वास है कि वे मुझे मेरे काम के लिये धन्यवाद देंगे। किंतु इस के बावजूद यदि वह समझते हैं कि इस तरीके से किसी को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० क० पाटिल]

हानि होती है अन्य तरीकों से नहीं, तो मैं इस मामले पर पुनः विचार करने को तैयार हूं। किसी भी ओर से कोई ऐसा रवैया नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। यह इस वैज्ञानिक ढंग से करने के लिये किया गया है।

श्री ब० प्र० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या खाद्य मंत्री महोदय को इस की जानकारी है कि एक प्रकार का ऊख जिसकी कि पैदावार का वजन अधिक होता है और रिकवरी कम होती है और इनफीरियर क्वालिटी की शुगर होती है और एक प्रकार का ऊख जिसकी कि पैदावार वजन कम होता है लेकिन रिकवरी ज्यादा होती है और उसकी शुगर भी सुपीरियर क्वालिटी की होती है? क्या इन दोनों प्रकार के ऊखों के मूल्यों में कोई अंतर रखने की बात उन्होंने सोची है?

श्री स० का० पाटिल : मैं ने बताया ऐसा तो होगा नहीं। जो दो, ढाई टन गन्ना एक, दो मिल लेवें तो एसा बंदोबस्त किया जाय मिल में कि उसका एक परसेंटेज वगैरह निकाला जाय और उस परसेंटेज की बसिस पर उसको पैसा मिलगा और यह इसलिए किया जायगा ताकि जो प्रोग्रेसिव फारमर है उसको इसमें कोई हानि न हो।

†**श्री शिवाजी राव श० देशमुख :** १५ प्रतिशत उपज दहानुकर के खेत में हैं न कि दाहानुकर की फैक्टरी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य तथा कृषि मंत्री के इस भाषण को सुनने के पश्चात और किसानों के प्रति जो आत्मीयता भरी कुछ घोषणा उन्होंन की है उस के लिये जहां मैं उन को बधाई देना चाहता हूं वहां साथ ही साथ अन्त में मैं फिर कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिससे वे एक बार अपने निर्णय पर पुनः विचार करे।

अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रकाशवीर शास्त्री यह कहते हैं कि तीन तीन मील के ऊपर मिलों के भावों में अन्तर क्यों किया गया? एक एकड़ में भी अगर किसान कुछ में खाद न दे या पानी न लगाय तो एक एकड़ में ही अन्तर हो जाता है। मैं स्वयं एक किसान बाप का बेटा हूं और मुझे इन स्थितियों की जानकारी है कि तीन, तीन मील में जब वही नहरें हैं, वही खाद देने के ढंग हैं और वहीं किसानों का परिश्रमी स्वभाव है लेकिन इतना सब कुछ होने के पश्चात् भी अभी जिस प्रकार से आप अपने भाषण के प्रवाह में यह कह गये कि उत्तर प्रदेश में १ रुपये ८१ नय पैसे और १ रुपये ८५ नये पैसे तक भाव है। सो १ रुपये ८१ भी वहां नहीं है और न ८५ ही हैं। हाल तो भाव छोटे हैं और उन में भी कहना यह चाहता हूं कि तीन, तीन मील के अन्तर पर बिना कारण के भाव बदले गये हैं। एक सदस्य कर्नाटक से जो यहां आये हैं उन्होंने कहा कि नदी के इस पार एक भाव है और दूसरे किनारे पर दो फर्लांग के फासले पर दूसरा भाव वहां भी हो जाता है। इस में थोड़ा और गहराई में जाने का यत्न किया जाय। यह केवल रिकवरी के आधार पर नहीं है बल्कि जो मशीनरी है रिकवरी बताने वाली उसके मष्तिस्क का परिणाम भी हो सकता है।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने यह कहा कि देश की अपेक्षा क्षेत्र छोटा हो है जब देश के भाव लग सकते हैं तो अगर क्षेत्रों के लोग सब मिलकर बांट लें और कोआपरेटिव ढंग पर गन्ना तैयार करें तो अच्छा हो। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कहीं इस के लागू करने के पीछे कं आपरेटिव फार्मिंग की घोषणा गवर्नमेंट की है वह तो आप के मस्तिष्क में छिपी हुई नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

है ? अगर वह भावना छिपी हुई है और उस को ऐसे ढंग से लाना चाहते हैं तो भी स्पष्ट भाषा में आप देश को बतलाइये ताकि उस आधार पर देश सोचना शुरू करे ।

श्री स० का० पाटिल : दो, ढाई टन गन्ना दो, तीन आदमी बना सकते हैं । उस में कोई कोआप-रेटिव सोसाइटी की जरूरत नहीं है । मेरे मस्तिष्क में वह चीज नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक मिल में एक मन गन्ने का रस निकाल कर उस के आधार पर मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता यह ठीक है लेकिन जिस तरीके से इंडोनेशिया में है कि एक किसान का बहुत बड़ा फार्म है उसको पूरी सुविधायें दी जाती है और एक बाद में दो उसका गन्ना ले लेते हैं फिर उस की रिकवरी के आधार पर उसकी कीमत दे दी जाती है तो फिर मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की सुविधायें भारत में भी आप किसानों को दें तो मैं समझता हूं कि उस में एक अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

अन्तिम बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि मैंने यह चाहा था कि आप सम्भव हो तो इस बात का उत्तर भी दें कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में गन्न से होन वाली सरकारी आमदनी का ३६० करोड़ रुपये अनुमान लगाया है यानी ३ अरब और ६० करोड़ रुपया गन्ने की उन्नति के लिये जो रकम आपने निर्धारित की है वह केवल १ अरब रुपया है । २ अरब और ६० करोड़ रुपया सरकार अपने खजाने में रखना चाहती है । उस में भी हर प्रांत की स्थिति भिन्न भिन्न है । जिस समय सरकार ने गन्ने के ऊपर सैस लगाया था उस समय घोषणा की थी कि इससे जितना भी पैसा आयेगा वह सब किसानों के गन्ना उत्पादन या उसके डवलपमेंट पर खर्च किया जायगा । लेकिन मैंने आप की जानकारी के लिय पीछे भी बतलाया था कि ऐसे आपके आंकड़े बताते हैं कि ३६ करोड़ रुपया आपको आया और १० करोड़ रुपया केवल व्यय किया गया । आपने उत्तर प्रदेश की ही बात बतलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जितना पैसा लेती है और उसके बाद केन डेवलपमेंट पर जो खर्च करती है वह ३७ न० पै० प्रति एकड़ है पहले तो मिलों के भावों में अन्तर फिर सरकार इतना पैसा लेले और जिसके लिये वह प्रतिज्ञा कर चुकी है कि इतना पैसा हम केवल गन्ने के विकास पर लगायेंगे, उस में हाथ खींच कर काम करती चलती है ।

दूसरी जरूरी बात यह निवेदन करनी है कि जहां किसान मिलों पर अपना गन्ना ले जाते हैं और उनके लिये आपने १ रुपये १० आने या १ रुपये ८ आने का भाव नियत किया है तो उस में इतना तो कम से कम अवश्य करें कि किसान को बैलगाड़ी लिये हुये मिल के दरवाजे पर खड़े २, २ दिन हो जाते हैं और ठंड में खड़े हुये किसान के बैलों का जीवन आधा हो जाता है और फिर उनके साथ मनुष्यों को भी कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है । किसान मिल के दरवाजे पर अपना गन्ना लेकर जब आये तो जरूरत इस बात की है कि उसको ठंड के मौसम में मिल के दरवाजे पर बैलों को लेकर दो, दो दिन इंतजार न करना पड़े ।

तीसरी एक सबसे जरूरी बात यह है कि आप क्यों नहीं इस प्रकार का निर्देश मिलों को दें अगर वह यह नहीं कर सकते कि खेत से गन्ना लेना आरम्भ कर दें तो कम से कम मिल जिस ऐरिया में है उस ऐरिया में सड़कों का इतना जाल बिछा दिया जाय कि कच्ची सड़कों पर जिससे बैलों को बैलगाड़ी खींचने में काफी दिक्कत पड़तीडुहैं और जिससे बैलों की आयु आधी रह जाती है, वह दिक्कत हट जाय । सिचाई की ओर भी अन्य जिस प्रकार की सुविधायें उन्हें आप दे सकते हैं वे भी दें । जब आप यह गन्ने का नया फारमूला बनाने जा रहे हैं तो कम से कम उसके साथ एक ऐसा भी फारमूला तो निश्चित किया जाय जिससे किसान और उसके बैलों की कठिनाई बचे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक अच्छा आश्वासन दिया है और यह कहा है कि हम ऐसा करेंगे कि रीकवरी का पता लगाने के लिये जहां मिल के प्रतिनिधि हों, सरकार के प्रतिनिधि हों, ट्रेड युनियन के प्रतिनिधि हों, वहां केन-ग्रोअर्ज के भी प्रतिनिधि हों । पर मैं उन की जान-

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

कारी के लिये कहना चाहता हूं कि यह सब व्यवस्था होते हुये भी किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि केन्न-ग्रोअर्ज के प्रतिनिधियों को सरकार एप्वाइंट न करे, और न ही मिल-मालिक यह न कहें कि अमुक आदमी गन्ने वालों का प्रतिनिधि रहेगा बल्कि गन्ने वालों को यह पूछा जाये कि वे किस को अपना प्रतिनिधि रखना चाहते हैं।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं यह कर दूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: ठीक है। अगर ऐसा किया जायगा, तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ न्याय हो सकेगा। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, फिर उसे दोहराता हूं कि वर्तमान में परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं है कि सरकार किसानों को इस बारे में तत्काल बाधित करें। यह तो शांतिकाल में बड़े स्थिर मस्तिष्क से सोचने की बात है। इस लिये अभी इस को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र, आप अपनी अमेंडमेंट के बारे में क्या चाहते हैं ?

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो बातों की क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।

एक ही जिले में— हमारे जिले में— पांच तरह की रीकवरी है और पाच तरह की कीमत रखी हुई है। रिजर्व एरिया के किसान को कहीं दो आन कम मिलगा और कहीं एक आना कम मिलेगा। उस के बारे में माननीय मंत्री जी का क्या आश्वासन हैं ?

उन्होंन कहा कि रीकवरी की दख-भाल के लिय चार तरह के आदमी रखेंगे। मिल वाले जो रीकवरी निकालते हैं, उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं होता है। माननीय मंत्री जी उस के बारे में क्या आश्वासन देते हैं ?

श्री स० का० पाटिल: मैंने चार आदमियों की बात कही है। गवर्नमेंट का आदमी तो वहां एक्साइज के लिये होता ही है और मिल का आदमी भी होता ही है। उनके साथ ट्रेड यूनियन का और गन्ने वालो का आदमी भी होना चाहिये। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट उन को नियुक्त न करे, बल्कि वे खुद चुन कर भेजें और हम उनको मान्यता दें। मैं यह नहीं चाहता कि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो, जिस में रिकवरी को कम बताने की कोशिश की जाये और किसी का नुक्सान हो। जहां तक रिजर्व एरियाज़ का ताल्लुक है, मैं उस के बारे में देखूंगा।

†**श्री विभूति मिश्र** : माननीय मंत्री के आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री विभूति मिश्र का संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : : प्रस्ताव यह है :

"कि यह सभा चीनी के उत्पादन के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित करने पर विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात लोक सभा की बैठक बुधवार, २८ नवम्बर, १९६२/७ अग्रहायण, १८८४ (शक) बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, २७ नवम्बर, १९६२

---

६ अग्रहायण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर **पृष्ठ**

अल्प सूचना प्रश्न

संख्या दो—न्यास लैण्ड में भारतीय १५३१—३२

सभा पटल पर रख गये पत्र १५३२—३३

(१) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ कीधारा ४३—ख की उप धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४८३ ।

(ख) दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ को जी० एस० आर० संख्या १५३४ ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० १५२२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (उन्नीसवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(३) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३—ख की उप-धारा (०) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४८१

(ख) दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५२९ ।

(ग) दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५३० ।

(४) कलकत्ता के कहवा बागाना उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की श्रमिकों की मजूरी में अन्तरिम वृद्धि किये जाने के बारे में सिफारिशों सम्बन्धी दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी—३ (५३)।६२ की एक प्रति ।

पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन . . . १५३३—५१

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक पर अग्रेतर खंड वार विचार आरम्भ हुआ, किन्तु चर्चा समाप्त नहीं हुई। खंड १८ पर विचार अगले दिन के लिये निलम्बित रखा गया ।

गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव . . १५५१—८०

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने चीनी के उत्पादन के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने चर्चा का उत्तर भी दिया। श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बुधवार, २८ नवम्बर, १९६२/७ अग्रहायण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

(१) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, (२) राज्य सहयोजित बैंक (विविध उपबंध) विधेयक और (३) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक पर विचार और उनका पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III 2402(Ai)LSD—10-1-63—140.